रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 161] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 13, 1985/श्रावण 22, 1907
No. 161] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 13, 1985/SRAVANA 22, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 27-आई टी सी (पी एन)/85—88

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1985

विषय :—उत्तर-प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (यू पी एस ई बी) के अनपारा "ख" थर्मल पावर स्टेशन निर्माण परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा विस्तारित 24.1 बिलियन येन के येन क्रेडिट के अधीन माल और सेवाओं के आयात के संबंध में लाइसेंसिंग शर्तें।

मिसिल सं० आई. पी. सी./23(18)/84-85.—उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (यू पी एस ई बी) के अनपारा "ख" थर्मल पावर स्टेशन निर्माण परियोजना की आयात आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा विस्तारित 24.1 बिलियन येन क्रेडिट के अधीन आयात लाइसेंसों के निर्गमन पर नियंत्रण रखने वाली शर्तें जो प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं।]

राजीव लोचन मिश्रा, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 27-आई टी सी (पी एन)/85—88 दिनांक 13-8-1985 का परिशिष्ट।

जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा प्रदान की गई उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (यू पी एस ई बी) के अनपारा "ख" थर्मल पावर स्टेशन निर्माण परियोजना को कार्यान्वयन करने के लिए येन 24.1 बिलियन के येन क्रेडिट के अधीन माल और सेवाओं के आयात के सम्बन्ध में लाइसेंस शर्तें।

खंड-1 सामान्य शर्तें

1(1) यू पी एस ई. बी की अनपारा "ख" थर्मल पावर स्टेशन निर्माण परियोजना की आयात आवश्यकताओ को वित्तदान करने के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा प्रदान किया 24 1 बिलियन येन का ऋण विकासशील देशो जिसमे भारत और जापान शामिल है, के लिए खुला है। तदनुसार, इस क्रेडिट के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुए और सेवाए जापान और सभी देशो (भारत सहित) अनुबध-1 की सूची मे उद्धृत सभी देशो से आयात की जा सकती है। ये देश इस ऋण के अतर्गत पात्र स्रोत देश होगे।

1(2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्ही मदो और उसी मूल्य के लिए लाइसेस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महानिदेशालय, तकनीकी विकास/पूजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो। इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेस (सो) येन का मूल्य 26.5 मिलियन (लागत-बीमा-भाडा) येन से अधिक नही होना चाहिए।

आयात लाइसेंस का रुपये मे मूल्य, राजस्व विभाग (सीमा-शुल्क) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रचलित दर और मुख्य नियत्रक, आयात निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना स. 78-आई टी सी (पी एन)/74, दिनाक 6 जून, 1974 के पैरा-2 के अनुसार आयात लाइसेंस म सकेतित दर पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमे यह उल्लेख है कि सीमा-शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस (सो) मे निर्दिष्ट मुद्रा विनिमय दर पर लाईसेस मूल्य के नाम डालेंगे। लाइसेंस पर एक शीर्षक "जापानी येन ऋण स आई डी पी-20" होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस मे "एस/जेसी" कोड होगा। यू पी एस. ई. बी को आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियत्रक, आयात-निर्यात के पत्र मे भी इसे दुहराया जाएगा, जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

1(3) लागत-बीमा-भाडा के आधार पर केवल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के नाम मे लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

1(4) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाइसस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते है। लेकिन कुल मूल्य येन 26.5 बिलियन (लागत-बीमा-भाडा) येन से अधिक नही होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा (1) मे कहा गया है।

1(5) लाइसेंस 24 महीने की प्रारभिक वैधता अवधि के लिए जारी किए जाएगे। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र पर आयात लाइसेंस की वैधता मे 12 मास की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान की जाए। आगे और वृद्धि करने के लिए/नया आयात लाइसेंस जारी करने के लिए अनुरोध यदि कोई हो आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजा जाना चाहिए।

1(6) क्रेडिट के अधीन वित्तदान किए जाने वाले आयात, आयात लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित संलग्न माल और सेवाओ की सूची तक प्रतिबधित है।

1(7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण के अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नही दी जाएगी। भारतीय अभिकर्त्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपये मे किया जाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएगे।

1(8) पक्के आदेश अनुबध-1 मे उल्लिखित देशो मे स्थित विदेशी संभरको को जहाज पर नि शुल्क/लागत एव भाडा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनो की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। भाडा बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रुपये मे भारत मे देय होगा। "पक्के आदेशो" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों से है जो विदेशी सभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो या भारतीय आयातक और विदेशी सभरक दोनो द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्रय सविदा हो। विदेशी सभरक के भारतीय अभिकर्ताओ के आदेश या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओ द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नही है।

1(9) चार महीनो की अवधि के भीतर ठेको की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नही समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनो के भीतर वित्त मत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (जापान अनुभाग) को नही पहुच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(8) मे यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनो के भ तर वैध कारणो से नही दिए जा सकते है तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यो नहीं दिए जा सकते इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि मे वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियो द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वह अधिक से अधिक चार महीनो की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सको हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनो से अधिक के लिए मागी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारिया द्वारा वित्त मत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) कार्य ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएगें जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियो को भेजेंगे जिसको व लाइसेंसधारी को प्रेषित करेगे। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियो से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और

विभागीय पदाधिकारी आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों में बैंक गारंटी साख पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकारी पत्र तुल्य रुपया जमा करने आदि की स्वीकृति की सुविधाओं की अनुमति देंगे।

1(10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिएं। माल के पोतलदान पर अलग-अलग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेके में नकद आधार पर अर्थात् पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किस्म की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए :

साख पत्र की प्राप्ति के बाद .... महीने
परन्तु अधिक से अधिक ....
के अन्दर तक पूर्ण किया जाना है।

पोतलदान के लिये आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यह तिथि 31-12-88 के बाद की न हो।

खंड 2 संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें

2(1) ठेके का जहाज पर्यन्त निःशुल्क/लागत एवं भाड़ा मूल्य पोत से (पोत की किस्म के लिए) अभिव्यक्त होना चाहिये और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिये जो कि भारतीय रुपये में चुकाना चाहिये।

भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2(2) ओ. ई. सी. एफ. येन क्रेडिट के अधीन परामर्श सेवाओं को छोड़कर अनपारा "ख" थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए सभी माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति ओ. ई. सी. एफ. ऋण सं. आई डी पी. 20 के अधीन गाइड लाईनों के अनुसार की जाएगी।

(क) उत्तर-प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति पूर्व योग्यता के साथ अनौपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के माध्यम से तथा तथार संविदा के आधार पर ऋण के भुगतान में से अदा करेगा।

(ख) अनौपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से भिन्न यदि अधिप्राप्ति प्रक्रियों को अपनाने का विचार है तो उत्तर-प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निधि पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा और अधिप्राप्ति विधि(यों) के अनुमोदन के लिए एक आवेदन-पत्र विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित करके निधि को भेजें।

(ग) पूर्व योग्यता के विज्ञापन और/या अधिसूचना से पहले उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पूर्व योग्यता दस्तावेजों के अनुमोदन के लिए निधि को भेजेगा। जब निविदा करने वाली फर्मों का चयन हो जाए, तो उत्तर-प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड उन फर्मों की सूची अनुमोदन के लिए निधि को भेजेगा और सभी संबद्ध दस्तावेजों के साथ किए गए चयन के कारणों को बताते हुए चयन प्रक्रियों पर रिपोर्ट देगा।

(घ) माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए आमंत्रित की गई बोलियों से पहले, उत्तर-प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड बोली दाताओं को सभी नोटिस और अनुदेश वाली प्रपत्र, प्रस्तावित संविदा, विशिष्टियों और ड्राईंग और बोली से संबंधित सभी दस्तावेजें अनुमोदन के लिए निधि को प्रस्तुत करेगा।

(ङ) सफल बोलीदाता को अधिनिर्णय का नोटिस जारी करने से पहले, उत्तर-प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड बोलियों का विश्लेषण और संविदा के अधिनिर्णय के लिए प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए निधि को प्रस्तुत करेगा।

(च) ओ ई सी एफ का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उत्तर-प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ऊपर उल्लिखित दस्तावेज दो प्रतियों में आर्थिक कार्य विभाग को भेजे जाएंगे।

(छ) अधिप्राप्ति गाइड लाईन्स के अनुच्छेद-5 का पूरा पैराग्राफ अमान्य होगे।

(ज) बोली दस्तावेज यह बताएंगे कि पात्र स्रोत देश कौन से हैं।

(झ) बोलियों का मूल्यांकन करने और/या संविदाओं का समापन करने में किसी भी दाता पर और/अथवा ठेकेदार को वरीयता नहीं दी जाएगी।

(ञ) यह नोट कर लेना चाहिए कि ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों का ओ ई सी एफ अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद ही वाणिज्य मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) द्वारा ओईसीएफ को क्रय संविदाएं अधिसूचित की जाएंगी।

2(3) विदेशी संभरक का भुगतान, उनके नाम में भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा 1982-83 के लिए ओ.ई.सी.एफ. येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं. आई डी पी-20 के अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिसका ब्यौरा नीचे खंड-7 में दिया गया है।

2(4) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा की जानी चाहिए। लेकिन, कुछ विशेष मामलों में, एक से अधिक संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है। जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

2(5) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे या पात्र स्रोत देशों में शामिल किए गए तथा पंजीकृत किए गए पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा शासित वैध व्यक्ति होंगे।

2(6) अपात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयात

जिन वस्तुओं में पात्र स्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उसका वित्तदान किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार ऐसे उत्पाद का प्रति एकक का मूल्य मदवार आधार पर आयातित भाग 30 प्रतिशत से कम हो —

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयात शुल्क} \times 100}{\text{संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य}}$$

(भारतीय संभरक के मामले में, कारखाने मूल्य को स्वीकृति दी जाएगी)।

2(7) संविदा में घोषणा

प्रत्येक संविदा में संभरक द्वारा माल एवं संभरक की पात्रता और संभरक के हस्ताक्षर और तारीख से निम्नलिखित घोषणा जोड़ी जाएगी —

"मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि संभरित किया जाने वाला माल.....(संबंधित पात्र स्रोत देश का नाम) में उत्पादित है।"

मैं, अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र स्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 30 प्रतिशत से कम है —

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयात शुल्क} \times 100}{\text{संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य}}$$

(जहां पर कारखाना मूल्य लागू हो)

"मैं अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि.....(पात्र स्रोत देश का नाम) में.....(कंपनी का नाम) समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है"।

खंड-3 संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें

3(1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिएं —

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) के बीच उत्तर-प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की अनुपारा "ख" थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिये येन क्रेडिट सं. ओ ई डी पी-20 (परियोजना सहायता) से संबंधित 26 दिसंबर, 1984 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा।

(ख) संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) के बीच येन क्रेडिट सं. आई डी पी-20 से संबंधित 26 दिसंबर, 1984 को हुए ऋण समझौते के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किए जाएंगे।

(ग) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओ ई सी एफ द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हों।

(घ) 2(7) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाणपत्र (तीन प्रतियों में)

3(2) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण संविदा के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को शामिल माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम से अवगत करायेगा और पोत लदान से कम से कम 6 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक इच्छुक हों, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक को प्रत्येक पोतलदान के पश्चात् आवश्यक ब्यौरे देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खंड-4 विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा ठेके को अनुमोदन

4(1) लाइसेंसधारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर-प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और विदेशी संभरकों दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां जो विदेशी संभरकों द्वारा लिखित में पुष्टि आदेश के साथ हों या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां संगत वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित जापान अनुभाग, कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, सार्थक्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिएं।

4(2) उपर्युक्त क्रिया विधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विषयवस्तु के लिए अनिवार्य संशोधनों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी।

4(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग, उत्तर-प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की अनपारा "ख" थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए येन क्रेडिट सं. आई डी पी-20 (परियोजना सहायता) के अंतर्गत वित्तदान सहकारिता करने के लिए विदेशी आर्थिक निधि (ओ ई सी एफ) को संविदा दस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा।

खंड-5 विदेशी संभरकों को भुगतान-साख पत्र क्रियाविधि

5(1) विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) से ठेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा यू पी एस ई बी और सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, को उसकी सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद यू पी एस ई बी को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद सी. ए. ए. एंड ए. कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबंध-2 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करना चाहिए। सी. ए. ए. एंड ए. संबंधित विदेशी संभरक के लिए संलग्न प्रपत्र-3 में एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा जो संबंद्ध विदेशी संभरक के नाम में (वास्तविक आयातों के लिए) संलग्न अनुबंध-4 के रूप में या (सेवाओं के लिए) अनुबंध-5 के रूप में अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोलने के लिए भारतीय बैंक की टोकियो शाखा को भेजा जाना चाहिए। प्राधिकार पत्र की प्रतियां (विदेशी आर्थिक सहयोग निधि) (ओ ईसी एफ), भारतीय दूतावास, टोकियो, यू पी एस ई बी, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएंगी।

5(2) प्राधिकार-पत्र मिलने पर, भारतीय बैंक, टोकियो अनुबंध-4 (वास्तविक आयातों के लिए लागू होता है) या 5 (सेवाओं के लिए लागू होता है) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा।

सी. ए. ए. एंड ए. से प्राधिकार पत्र के आधार पर साखपत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि संविदा संशोधन या अन्यथा के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे सभी प्राधिकार पत्र/साख पत्रों के संशोधनों पर स्वतः लागू होगी।

5(3) माल का पोतलदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से साख पत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक निधि से प्राप्त करेगा।

5(4) साख-पत्र के अंतर्गत लेन-देन करने के लिए साखपत्र खोलने के लिए बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को देय बैंक खर्चे और विदेशी संभरकों के बैंकरों के यदि कोई खर्चे हों तो वे विदेशी संभरक/आयातक द्वारा वहन किए जाएंगे। बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो द्वारा विदेशी संभरकों को आयातकों की लागत के भुगतान की तिथि से ओ ई सी एफ द्वारा अदायगी की तिथि तक की अवधि पर बैंक ऑफ इंडिया को चुकाने योग्य ब्याज प्रभार, भारत में संबद्ध आयातक के बैंक द्वारा बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से धन भेजकर निर्णीत किए जाएंगे।

5(5) अदायगी क्रियाविधि

भारतीय संभरकों से माल और सेवाओं की खरीद के लिये ऋण की रकमों की अदायगी क्रियाविधि के अनुसार निम्नलिखित अनुपूरक शर्तों के साथ की जायेगी :—

एक जापनी येन के लिये भारतीय रुपये की विनिमय दर बोली खोलने की प्रचलित दर होगी जैसा कि मार्ग दर्शन के खण्ड 4.07 में निर्दिष्ट किया गया है । अदायगी के लिये आवेदन के साथ-साथ ऋणी मान्यता प्राप्त बैंक से यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण-पत्र भी भेजेगा कि बोली खोलने के दिन येन रुपये की विनिमय दर क्या थी।

खण्ड 6 परामर्श-दाताओं का नियोजन

परामर्शदाताओं का नियोजन निम्नलिखित अनुपूरक शर्तों के साथ "ओ ई सी एफ के ऋणियों द्वारा परामर्शदाताओं के नियोजन के लिये मार्ग दर्शन" के अनुसार किया जायेगा जो ऋण समझौते के साथ संलग्न है :—

(1) परामर्शदाता फर्म निम्नलिखित सभी शर्तें पूर्ण करेगा :—

(क) पूर्वक्रीत शेयरों में बहुसंख्य शेयर पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा धारित हों,

(ख) पूर्णकालीन संचालकों में से बहुसंख्य संचालक पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक हों,

(ग) ऐसी फर्म पात्र स्रोत देशों में निगमित और पंजीकृत हों।

(2) आयातक ऋण समझौते के निर्णीत होने के तुरन्त बाद निधि द्वारा पुनरीक्षा के लिये निम्नलिखित प्रलेखों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा :—

(1) विचारार्थ विषय ;

(2) परामर्शदाताओं की संक्षिप्त सूची ;

(3) आमन्त्रण पत्र ;

(4) संक्षिप्त मूल्यांकन शीट सहित मूल्यांकन रिपोर्ट ।

(3) परामर्शदाता द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित उसकी पात्रता के संबंध में निम्नलिखित घोषणा पत्र प्रत्येक ठेके के साथ संलग्न किया जायेगा :—

"मैं अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि————————(फर्म का नाम)——————— ————(सम्बद्ध पात्र स्रोत देश का नाम) में निगमित और पंजीकृत है और यह पात्र परामर्शदात्री फर्म है । इसके———————— प्रतिशत (————%——) पूर्वोक्त शेयर ——————(सम्बद्ध पात्र स्रोत देशों का नाम) के राष्ट्रिकों द्वारा धारित हैं और पूर्ण कालीन संचालकों में से————————— प्रतिशत (———%——) संचालक-————————(सम्बद्ध पात्र स्रोत देशों का नाम) के राष्ट्रिक हैं ।"

(4) जापान के अलावा जब पात्र स्रोत देश के एक परामर्शकर्त्ता को ठेका दिया जाता है, तो ठेका मूल्य जापानी येन अथवा अमरीकी डालर में बताया जायेगा और भुगतान किया जायेगा । जब एक जापानी परामर्शकर्त्ता को ठेका दिया जाता है तो ठेका मूल्य जापान येन में बताया जायेगा और भुगतान भी जापान येन में किया जायेगा ।

ठेका भारत सरकार/ओ ई सी एफ के अनुमोदन की शर्त के अधीन होगा ।

(5) आयातक द्वारा निधि को पुनरीक्षा/अनुमोदन के लिये उपर्युक्त दस्तावेज आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत किये जायेंगे :—

(क) पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा धारित पूर्वोक्त शेयरों की प्रतिशतता ।

(ख) उन पूर्णकालीन संचालकों की प्रतिशतता जो पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक हैं ।

खण्ड-7 रुपया निक्षेप करने के लिये उत्तरदायित्व

7(1) बैंक आफ इंडिया, टोकियो संगत प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट में संकेतित अनुसार आयातक के प्राधिकृत बैंकर को परक्राम्य जहाजरानी दस्तावेज भेजेगा और बैंकर इसके बदले में यह सुनिश्चय करेगा कि जहाजरानी दस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली में रुपया निक्षेप कर दिया गया है । येन भुगतान के समतुल्य रुपयों पर ब्याज की दर प्रथम 30 दिनों के लिये 12 प्रतिशत वार्षिक और उससे अधिक अवधि के लिये 18 प्रतिशत वार्षिक होगी जो बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा कराने की तिथि तक गिनी जायेगी और सार्वजनिक सूचना सं० 31-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 10-8-83 के अनुसार मूल भुगतान के साथ जमा की जायेगी । यह नोट कर लिया जाना चाहिये कि दोनों दिनों अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया गया है और जिस दिन सरकारी लेखा में रुपया जमा किया गया है, का ब्याज लिया जायेगा । देखिए सार्वजनिक सूचना सं० 103-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 12-10-74 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-1974।

विदेशी संभरक को किये गये येन भुगतान के समतुल्य रुपये की गणना करने के लिये अपनाया जाने वाला विनिमय की दर भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की यह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं० 109-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 3-8-74 और सं० 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य-नियंत्रक, आयात निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो । इस सम्बन्ध में और ब्याज की दर के सम्बन्ध में भी जब भी कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जायेगा यह सुनिश्चित करने के लिये भारतीय बैंक की जिम्मेवारी होगी कि देय धनराशि आयातकों को आयात दस्तावेज सौंपने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है । आयातक को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि देय धनराशि अपने ऋणदाताओं से दस्तावजों की सुपुर्दगी लेने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है । यह सुनिश्चित करने के लिये आयातक की जिम्मेवारी होगी कि देय धनराशि सरकारी खाते में ठीक प्रकार से तुरन्त जमा कर दी है भले ही जब वे विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी प्राप्त करते हैं । यदि आयातक सरकार को देय धनराशि का माल की सुपुर्दगी लेने से पहले जमा नहीं कर पाता तो आगे के लिये उसे प्राधिकार पत्र देना बन्द कर दिया जाये और मामले की रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात को दी जाये ताकि ऐसे आयातक को आगे और आयात लाइसेंस जारी न किए जाएं । जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जायेगा वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सिज-843 सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परचेजिज एटसट्रा एब्रोड अंडर क्रेडिट्स लान एग्रीमेंट" लोन फ्रोम दि गवर्नमेंट आफ जापान 24.1 बिलियन येन क्रेडिट सं० आई डी पी-20 फार अनपारा "ख" थर्मल पावर प्रोजेक्ट होना चाहिये ।

7(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी, दल्ली में चालान के ऊपर दाहिनी ओर कोने में कोड सं० 5130000009 का संकेत देते हुए सरकार की शाखा में सार्वजनिक सूचना सं० 184-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 30-8-1968, सं० 233-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 24-10-68, सं० 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित तरीके में जमा होना चाहिये ।

7(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किये जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से यह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाये। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिये कि सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971 के पैरा-3 में निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे" में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किये गये हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिये :—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र संख्या और दिनांक;

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किये जाते हैं।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि उसके पश्चात् सी ए ए एण्ड ए द्वारा जारी किये गये प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान द्वारा जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी०ए०ए० एण्ड ए० को भेजा जाना चाहिये।

टिप्पणी —भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिये कि रुपये का निक्षेप भारतीय बैंक, टोकियो की अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिये और यह कि इसके तत्काल बाद सी०ए०ए० एण्ड ए० वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जायेगा ।

7(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिये और अपेक्षित "एक" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक, बंबई को भेजना चाहिये।

ख-8 विविध व्यवस्थाएं

8(1) आयात लाइसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट

आयातक का पोतलदान और उसके अधीन किये गये भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साख-पत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिये।

8(2) संभरकों को विशेष शर्तों के बारे में अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस में दिये गये किसी उन विशेष उपबन्धों से संभरक को अवगत करा देना चाहिये जो माल के लाने में संभरक पर प्रभाव डालती है।

8(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिये कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिये भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किये गये भुगतान में पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुबन्ध-2 में "भुगतान की शर्तें" के अन्तर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिये। संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से सम्बद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिये।

8(4) भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट समझौते (परियोजना सहायता) सं० आई डी पी-20 के अधीन सभी आधारों को विदेशी आर्थिक निगम निधि, जापान (ओ०ई०सी०एफ०) के साथ पूर्ण करने के लिये भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

8(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त खंडों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जायेगी।

8(6) अनुबंधों की सूची

1. अनुबंध—1 पात्र स्रोत देशों की सूची
2. अनुबंध—2 अधिकार पत्र जारी करने के लिये अनुरोध
3. अनुबंध—3 प्राधिकार पत्र का प्रपत्र
4. अनुबंध—4 साख-पत्र का प्रपत्र (वास्तविक आयातों के लिये लागू)
5. अनुबंध—5 साख-पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिये लागू)

अनुबंध—1

पात्र स्रोत देशों की सूची

(क) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र

(क-1) विदेशी आर्थिक सहयोग के भिन्न विकासशील दे

1. अफ्रीका, उत्तरी सहारा

मिश्र मोरक्को तुनिसिया

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा

अंगोला	बोत्सवाना	बुरुण्डी
केमेरन	कैप वर्डी द्वीप समूह	केन्द्रीय अफ्रीका गणतंत्र
चाड	कमारो द्वीप समूह	कांगो, दाहोमे का गणतंत्र
मध्य गिनि (1)	इथोपिया	जाम्बिया
घाना	गिनी	आइवेरी कोस्ट
कीनिया	लेसोथो	लाइबीरिया
मालागासी गणतंत्र	मालावी	माली
मारितेनिया, मारीशस	मुजम्बिक	नाइजर
पुर्तगाली गिनी	रियूनियम	रोडेशिया
रवान्डा	सेंट हेलिना और डेप (2)	साओ टोम ओ
सेनेगल	सेचिलिज	सियरा लिओन
सोमालिया	सूडान	स्वाजीलैण्ड
टरी आफर्स और इस्सास	टोगो	युगान्डा
तंजानिया गणतंत्र संघ	अपर वोल्टा	जाइरे गणतंत्र
जाम्बिया		

3. अमेरिका, उत्तरी और केन्द्रीय

बेहमस	बारबोडोज	बेलाइज
बरमूडा	कोस्टारिका	क्यूबा
डोमिनिकन गणतंत्र	एल सालवाडोर	गुवाडेलोप
ग्वाटेमाला	हेती	होन्डूरस
जमैका	मार्टिनिक	मैक्सिको
नीदर लैण्ड अन्टिलीज	निकारगुवा	पनामा
सैन्ट पियरो और निकेलान	ट्रिनीडाड और टोबागो	वैस्ट इण्डीज (एन आई ई)

(क) सह-संबद्ध राज्य (1)

(ख) आश्रित (2)

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, फरोण्डा पो द्वीप सहित

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित :—

असेन्शन, ट्रिस्तन्डा डा कन एसोसियएप, नाइटिंगेल, गफ ।

(3) मुख्य द्वीप समूह, अरुबा, बोनाइरे, क्यूराकोओ, साहा, सैन्ट यूस्टाशिट सैन्ट मारटिन (दक्षिण भाग)

4. दक्षिणी अमेरिका

अर्जेन्टीना	बोलिविया	ब्राजील
चिली	कोलम्बिया	फाल्क लैण्ड द्वीप समूह
फ्रांसिसी गुयाना	गुयाना	पराग्वे
पीरू	सूरिनाम	उरुग्वे

5. मध्य-पूर्वी एशिया

बहरीन	इजराइल	जोर्डन
लेबनान	ओमन	सिरिआई अरब गणतंत्र
यूनाइटिड अरब अमिरात, (3)	यमन अरब गणतंत्र	यमन जनवादी डी०आर० (4)

6. दक्षिण एशिया

अफगानिस्तान	बंगला देश	भूटान
बर्मा	भारत	माल द्वीप
नेपाल	पाकिस्तान	श्री लंका

7. सुदूर पूर्वी एशिया

ब्रुनी	हांगकांग	खमेर गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र	लाओस	मकाओ
मैलेयेशिया	फिलिपाइन	सिंगापुर
ताइवान	थाइलैण्ड	तिमोर
वियतनाम गणतंत्र	वियतनाम जनवादी गणतंत्र	

8. ओसिनिया

कोक द्वीप समूह	फिजी	गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
फांसिसी पौलिनेशिय (5)	नारू	न्यूकेलेन्डोनिया
न्यू हेब्रिसिस (बि, ओएफ),	नियू	पौलिपिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
पापुवा न्यू गिनी	सोलोमन द्वीप समूह (ब्रा०)	टोंगा
वालिस और फुतुना	पश्चिमी सामोआ	

9. यूरोप

साइप्रस	जिब्राल्टर	ग्रीक
माल्टा	स्पेन	तुर्की
युगोस्लाविया		

(1) मुख्य द्वीप एन्टिगुवा, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सैन्ट किट्स क्रिस्टोफो नेविस-अंगुइला, सैन्ट लुसिया, और सैन्ट क्रिसेन्ट,

(2) मेन आइलैण्ड, मोन्तेसरत, सेमान, तुर्की और काइकोस और ब्रिटिश वरजिन द्वीप समूह ।

(3) अजमन, दुबई, फुजाइरत, रास अल सेमाह, शारजाह और उन अल क्वेवेन ।

(4) अदन और विभिन्न सल्तनत और अमीरात सहित ।

(5) सोसाइटी आई लैण्ड समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए आस्ट्रल द्वीप समूह, टुआमोट, जाम्बियर ग्रुप और मार्केसस द्वीप समूह ।

(6) पेसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश, कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मेरियाना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)।

(ख) 2—ओ०पी०ई०सी० के सदस्य या सहयोगी देश

अल्जीरिया	बोलिविया	गीनियाई अरब गणतंत्र
गेबोन	नाइजीरिया	इक्वेडोर
वेनेजुएला	ईरान	ईराक
कुवैत	कतर	सऊदी अरब
आबू-धाबी	इन्डोनेशिया	

अनुबंध — 2

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये प्रार्थनापत्र

संख्या ———————— दिनांक ——

सेवा में,

सहायक लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली— 110001

विषय:— येन क्रेडिट सं. आई. डी. पी. 20 (1982-83 के लिये परियोजना सहायता) के अंतर्गत जापान से ———————— का आयात

महोदय,

ऊपर उल्लिखित येन क्रेडिट सं. आई. डी. पी. 20 (परियोजना सहायता) के अधीन ———————— से ———— के आयात के संबंध में ————————(बैंक का नाम) ———— जो कि वही होना चाहिये जो नीचे (ढ) में सम्बद्ध समुद्रपार संभरक के नाम से साख पत्र खोलने के लिये दिया गया है, का प्राधिकारी पत्र जारी करने के लिये हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं:—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके ———— क्या वह सीधे क्रय या औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके सामने में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिये कि क्या संविदा का निर्णय उपर्युक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण

(ङ) माल का उद्गम देश

(च) यदि कोई हो तो पात्र स्रोत देशों से इतर स्रोत देशों से आयातित संघटकों का प्रतिशत।

(छ) संविदा का कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क/लागत एवं भाड़ा मूल्य (येन में)

(ज) यदि कोई हो तो भारतीय एजेन्ट को कमीशन की धनराशि (येन में)

(झ) वास्तविक जहाज पर निःशुल्क/लागत एवं भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है।

(ञ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक

(1) राष्ट्रिकता

(2) पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा प्राप्त शेयरों की प्रतिशतता।

(3) प्रतिनिधि की राष्ट्रीकता और/या संभरक का निवासस्थान

(4) उन निदेशकों का प्रतिशत जो पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक हैं।

(ठ) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथियां जिनको संविदा के अंतर्गत भुगतान देय होंगे।

(ड) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि

(ढ) बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दिखाये हुए)

(ण) पोतलदान अनुदेश (यानान्तरण/पार्ट-शिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिये)

(त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।

(थ) क्या उसी लाइसेंस के अंतर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई है और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई है, यदि हो तो ऐसी प्रत्येक संविदा की संख्या, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अंतर्गत ओ. ई. सी. एफ. को इसे अधिसूचित किया गया है।

(द) क्या साख-पत्र के संचालन और रख-रखाव के लिए बैंक आफ इंडिया टोकियो को देय बैंक खर्चे आयातकों/या संभरकों द्वारा वहन किये जाते हैं।

(ध) आयातक द्वारा वचनबद्धता —

"हम एतद्द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से और दर से विदेशी संभरक को किये गये भुगतान के समतुल्य रुपये को पूरा और सही

जमा करने का वचन देते हैं। प्रत्येक निक्षेप माल (आयातित सामग्री) की सुपुर्दगी सौंपने से पूर्व तत्काल ही धनराशियां जमा कराई जायेंगी। विदेशी राष्ट्रीयता वालों की सेवाओं के लिये भुगतानों के मामले में, दिये गये ज्यों ही विदेशी संभरकों के सम्बद्ध बीजक हमारे द्वारा अनुमोदित कर दिये जायें और संभरकों को भुगतान कर दिया जाये, त्योंही धनराशियां जमा करा दी जाएं।

अनुबंध – 3

(प्राधिकार प्रपत्र "क" पत्र)

संख्या एक

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक ———————

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया,

टोकियो शाखा,

टोकियो (जापान)

विषय :— येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) ऋण करार सं. आई डी. पी. 20 के अधीन आयात साख–पत्र खोलने के लिये प्राधिकार पत्र जारी करना

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ ——— को किये गये समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार पूर्व सर्व श्री ——————— के नाम में ———————येन धनराशि के लिये अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

आपके बैंक द्वारा खोले गये प्रत्येक साखपत्र की प्रति आयातक के बैंक, ओ. ई. सी. एफ. भारतीय दूतावास टोकियो और हमे पृष्ठांकित की जाएं।

साखपत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान आपकी निधि से किया जायेगा। भुगतान के साथ ओ. ई. सी. एफ. को आवश्यक दस्तावेज भेज कर किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करना चाहिये।

संभरक को आपके द्वारा किये गये भुगतान की तिथि से और ओ. ई. सी. एफ. द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि में दावों के बीच के समय के लिये सम्बद्ध आयातकों के बैंक के साथ सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारतीय लेखा के भुगतान को अप्रभावित किये बिना ही तय करना चाहिये। बैंकों के अन्य खर्चे जिसमें साखपत्र खोलने, रख-रखाव करने और साखपत्रों को जारी रखने के लिये खर्चे भी शामिल है क्योंकि वे भी परक्राम्य दस्तावेजों के संचालन से संबंधित हैं और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरकों के बैंकरों के खर्चे भी विदेशी संभरक को ही देने पड़ेंगे और इसलिये आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जायेगा और इस लिए उन्हें सीधे ही संभरकों/ आयातकों से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसे भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा ओ. ई. सी. एफ. में नहीं किया जा सकता।

जैसे ही आपके द्वारा कोई भुगतान किया जाता है और उसकी प्रतिपूर्ति आपको कर दी जाती है तो इसकी सूचना-निर्धारित प्रपत्र मे इस मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिये।

यह प्राधिकार पत्र सम्प्रकार संभरकों के नाम में साख पत्र खोलने के लिये है इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के मद्दे खोले गये आगे के नए साख पत्र या साख–पत्र मे बाद के संशोधनों का अनुपालन नही किया जायेगा।

यह प्राधिकार पत्र ————तक वैध रहेगा।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :–

1. आयातक ——— को उनके पत्र सं. ——— दिनांक ——————— के संदर्भ में।

उनसे अनुरोध है कि वे बैंकरों से विनिमय दस्तावेजों की डिलीवरी लेने से पूर्व निर्धारित दर पर और तरीके से अपने बैंकरों के माध्यम से रुपया निक्षेप आदि जमा कराने का प्रबंध करें। अपवाद परिस्थितियों के रुप मे यदि माल की डिलीवरी सीधे ही सीमा शुल्क और पत्तन प्राधिकारियों से मूल पोतलदान दस्तावेज भेजे बिना ही प्राप्त कर ली जाती है तो डिलीवरी लेने मे पूर्व ही निक्षेप किये जाने चाहिये। विदेशी राष्ट्रीयता वालो द्वारा भुगतान के मामले में जैसे ही सम्बद्ध बीजक भुगतान दी गई सेवाओं के लिये द्वारा अनुमोदित हो जायें निक्षेप कर दिये जाएं/निक्षेप जल्दी ही और ठीक से न करने पर लाइसेंस की शर्तों में उल्लिखित आवश्यक कार्रवाई की जाये।

2. आयातक के बैंकर ———— । उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया , टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्ति करने पर विदेशी संभरक को येन भुगतान के बराबर रुपये जमा करने की व्यवस्था करे। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना सं. –8 आई टी सी (पी एन) /76, दिनांक 17–1–76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय समय पर जारी की जाये, के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जायेगी। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि आयातक

को सीमा-शुल्क निकासी के लिये आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिये जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशियां या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक तीस हजारी में चालान के दाहिनी ओर कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए जमा करनी चाहियें। इस संबंध में उनका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 194- आई टी सी (पी एन) /68, दिनांक 30-8-68, 233- आई टी सी (पी एन)/68- दिनांक 24-10-1968, 132 आई टी सी (पी एन)/ 71 दिनांक 5-10-1971, सं. 74- आई टी सी (पी एन)/74- दिनांक 31-5-74 एवं सं. 103 आई टी सी (पी एन)/ 76 दिनांक 12-10-1976 में दिये गये प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है। वह लेखा शीर्ष जिसमें रुपया जमा करना है वह "के–डिपाजिटस एंड एडवांसिज – 843- सिविल डिपोजिटस- डिपाजिटस फार परचेजिज एट्सेटा अवार्ड अंडर परचेजज अंडर क्रेडिट/लोन एग्रीमेंटस"– लोन फ्राम द गवर्नमेंट आफ जापान 24.1 विलियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं. आई डी पी- 20 फार 1982-83 है।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या 132 आई टी सी (पी एन)/ 71 दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उनके चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :–

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
पहली मंजिल, यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

जिन मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतिक सार्वजनिक सूचना सं. दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहियें। सभी मामलों में जमा किये गये तुल्य रुपये को पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहियें।

बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान किये गये ब्याज खर्च संभरक के भुगतान की तिथि और ओ. ई. सी. एफ. द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो की प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच के समय के लिये भारत सरकार के लेखे पर प्रभाव डाले बिना सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से बैंक आफ इंडिया, टोकियो के साथ सीधे ही आपके द्वारा तय किये जाने चाहियें।

3. निदेशक, ऋण विभाग-2 समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि, टेकबशी करोडो बिल्डिंग 4-1, ओह्राटेमची- 1 कोमे, चियोडा- कू टोकियो 100 जापान।

4. भारतीय दूतावास टोकियो।

5. अवर सचिव, जापान अनुभाग वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली।

(लेखा अधिकारी)

अनुबंध – 4

(ओ. ई. सी. एफ. एल. सी-1)

अपरिवर्तनीय साख पत्र

(माल के लिये लागू)

दिनांक

सेवा में,

प्रिय महोदय———— —यह साखपत्र (ऋणी) और ————————————विदेशी आर्थिक सहयोग निधि	
(संभरक का नाम और पता)	के बीच हुए ऋण करार संख्या——— दिनांक ——— के अनुसरण में जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम सूचित करते है कि हमारे नाम में निकालने के लिये बीजक के पूरे मूल्य के लिये दर्शनी हुण्डी द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिये हमने अपरिवर्तनीय साख पत्र सं. ————— खोल दिया है जो ———— येन ————(येन कह सकते हैं) कि कुल धनराशि से अधिक नहीं हैं। इसे निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजा जाना है :–

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक

क्लीन आन बोर्ड, समुद्री पोत लदान बिल जिनमें दिये गए आदेशों का पूरा सेट हो बैंक पृष्ठांकित एवं चिन्हित "प्रेन्ट" एवं "नोटिफाई"

अन्य दस्तावेज जिसमें ——— से ——— तक लदान का सत्यापन दिया गया हो (संविदा सं. ————) (यदि कोई हो) के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण आंशिक पोतलदान स्वीकृत है। वाहनान्तरण स्वीकृत है।

पोतलदान बिल जो ————से बाद की तिथि का नहीं होना चाहियें। आदेशती को ———- -19 तक आवश्यक प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

इस क्रेडिट के अंतर्गत सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर यह अंकन होना चाहिये। "अपरिवर्तनीय साखपत्र सं. ———— दिनांक ————19 के अंतर्गत निकलवाया गया और आयात संदर्भ सं. (संख्याएं) यदि कोई हो, यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है"।

ये धनराशि या तो भारतीय, रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी में चालान के दाहिनी और कोड स. 5130000009 दर्शाते हुए जमा करनी चाहिये।

इस संबंध में उनका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 184-आई टी सी (पी एन)/ 68, दिनांक 30-8-68, 233-आई टी सी (पी एन)/ 68, दिनांक 24-10-1968, 132 आई टी सी (पी एन)/ 71, दिनांक 5-10-1971, सं. 74- आई टी सी (पी एन)/ 74 दिनांक 31-5-84 एवं सं. 103 आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 मे दिये गये प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है। वह लेखा शीर्ष जिसमें रुपया जमा कराना है वह "के--डिपाजिटस एंड एडवांसिज-- 843- सिविल डिपाजिटस- डिपाजिटस फार परचेजिज एटसेट्रा रेवार्ड अन्डर परचेजिस अण्डर क्रेडिट/लोन एग्रीमेंट- ग्रान्ट फाम द गवर्नमेंट आफ जापान 24.1 बिलियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं. आई डी पी-20 फार 1982-83 है।

जिन मामलों मे तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं. - 132 आई टी सी (पी एन) /71, दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उनके चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए आवेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जायेगी :-

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
पहली मंजिल, य. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

जिन मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतिक सार्वजनिक सूचना सं. दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए सभी मामलों में, जमा किये गये तुल्य रूपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिये।

यदि कोई हो तो, बैंक के खर्चे, ब्याज और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा के अन्य खर्चे (जिसमें विदेशी संभरकों के बैंकरों के खर्चे भी शामिल है) प्रमुख लेखाधिकारी, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को समतुल्य रुपये अदा करने पर ही तय किये जायेंगे । इस प्रयोजन के लिये विभाग द्वारा उचित सूचना बैंक आफ इंडिया टोकियो भारतीय दूतावास जापान से सम्बद्ध सूचना प्राप्त होने पर ही भेजी जायेगी।

3. निदेशक, ऋण विभाग-2 समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि, टेकवशी करोडो बिल्डिंग, 4-1 ओहाटमेची- 1-कोम, चियोडा- कू टोकियो 100 जापान।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो।

5. अवर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

(लेखा अधिकारी)

हम एतद्द्वारा वचन देते है कि इस क्रेडिट के अंतर्गत और इसकी शर्तों का अनुपालन करके निकलवाए गये सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशतों का दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किये जायेंगे।

जब तक अन्यथा रुप से विस्तार पूर्वक न बताया जाये कि "क्रेडिट यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार डाकुमेंट्स क्रेडिटस (1974 रिवीजन) इंटरनेशनल चेम्बर आफ कामर्स, पब्लिकेशन सं. 290" के अधीन है।

सौदा करने वाले बैंक के लिये विशेष अनुदेश :-

उपर्युक्त ऋण करार के अंतर्गत जारी किये गये वचन पत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के लिये प्रति पूति प्राप्त करने के बाद हम वचन देते है कि हम सौदा करने वाले बैंक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार हुण्डी की धनराशि को लौटा देगें।

2. सौदा करने वाले बैंक को यह बताते हुए हम ड्राफ्ट और दस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ प्रमाण पत्र अवश्य भेजें कि शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा --------- को भेज दिये गये है।

3. इस क्रेडिट के अंतर्गत सभी बैंक के खर्चे आयातक /संभरक के लेखे ले लिए है।

भवदीय,

. . . .

वाणिज्यिक बैंक

द्वारा----------------

प्राधिकृत हस्ताक्षर

भुगतान शर्ते

यह भुगतान हमारी साखपत्र सं.-------का अभिन्न अंग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि ------येन जो कि कुल संविदा मूल्य के ---------प्रतिशत है।

अपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

2. मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हो)

धनराशि ----------- येन जो कि कुल संविदा मूल्य का--------- प्रतिशत है।

अपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

3. पोतलदान दस्तावेजो के मद्दे भुगतान

धनराशि ---------------येन संविदा के कुल मूल्य का ---------- प्रतिशत है।

टिप्पणी :- पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे पूर्ण भुगतान के मामले में इस संलग्न दस्तावेज की आवश्यकता नही है।

अनुबंध – 5

(प्रपत्र ओ ई सी एफ एल सी – 2)

अपरिवर्तनीय साखपत्र

(सेवाओं के लिये लागू)

दिनांक ——————

सेवा में,

——————यह साख पत्र ऋणी और विदेशी
——————आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए
——————ऋण करार सं. – ——दिनांक ——
(सभरक का नाम व पता के अनुसरण में जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिये पूर्ण ब्यौरे मूल्य के लिये लाभकारी ड्राफ्टस एट साइट द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिये आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं. ——— खोल दिया है जो येन ————(येन ———— पहले) की धनराशि से अधिक नहीं है।

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (संविदा ——— और परियोजना ———) में संबंधित दस्तावेजों को नत्थी करना है सौदा तय करने के लिये ड्राफ्ट ———— में पहले प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

सभी ड्राफ्ट और दस्तावेज अपरिवर्तनीय साख पत्र सं. ——————दिनांक ————के अंतर्गत भुना लिये गये हैं, से चिन्हित होने चाहिये।

यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है।

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अंतर्गत इसकी शर्तों का अनुपालन करके भुनाये गये सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशितों को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत स्वीकार किये जायेंगे।

जब तक अन्यथा रुप में विस्तार पूर्वक न बताया जाये, यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार डाकूमेंटरी क्रेडिट्स (1974 रिवीजन) इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कामर्स प्रकाशन सं. 290" के अधीन है।

सौदा करने वाले बैंक को विशेष अनुदेशः—

1. इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी और इसके मनोनीत अधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के मूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात् इस क्रेडिट के अंतर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिए। प्रारम्भिक भुगतान के मामले में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बजाए लाभकारी विवरण की आवश्यकता है।

2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए वचनबद्धता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतानों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टों की धनराशि का मोलतोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परेषित करने का वचन देते हैं।

3. उपर्युक्त मद 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेज की एक प्रति और समौदे हमें उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेज जाएंगे।

4. इस साख के अन्तर्गत बैंक के सभी खर्च सभरकों का लेखे के लिए है।

भवदीय,

(वाणिज्यिक बैंक)
द्वारा ....
(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साख पत्र सं. ......का एक अभिन्न अंग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान
धनराशि ....येन
कुल संविदा मूल्य का ....प्रतिशत है।
अपेक्षित दस्तावेज लाभकारी विवरण की अंतिम भुगतान तिथि

2. भुगतान वृद्धि

सम्पूर्ण योग की धनराशि ....येन
कुल संविदा मूल्य का ....प्रतिशत
निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है—

	देय धनराशि	अन्तिम भुगतान तिथि
	————	————
	येन ————	————
पहली किस्त	येन————	————
दूसरी किस्त	येन ————	————
	————	————

अपेक्षित दस्तावेज (ऋणी अथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र संलग्न है।

निष्पादन का विवरण

दिनांक .....

संदर्भ .....

सेवा में,

———————

———————

———————

संभरक का नाम और पता

संदर्भः—ऋण करार सं. ————के अन्तर्गत ——————परियोजना से संबंधित ——————के नाम में———— येन के लिए ————द्वारा द्वारा जारी किए गए साख पत्र की सं. ————दिनांक ———— मैं अधोहस्ताक्षरी, प्रतिनिधि (ऋण) एतद्द्वारा ————और ——————के बीच समझौता सं. ————दिनांक ——————में निहित भुगतान की शर्तों के अनुसार समुद्रपार आर्थिक सहायता निधि द्वारा ———— की धनराशि(————————————येन केवल) प्राप्त करने के लिए एक निष्पादन विवरण जारी करता हूं।

(.....)

(ऋणी)

द्वारा .....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विशेष अनुदेश :—

वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में दर्शाया जाएगा।

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 27 ITC(PN)|85—88

New Delhi, the 13th August, 1985

Subject : Licensing conditions in respect of imports of goods and services under the Yen Credit of Yen 24.1 Billion for the implementation of the ANPARA 'B' Thermal Power Station Construction Project of the Uttar Pradesh State Electricity Board (UPSEB), extended by the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan.

File No. IPC|23(18)|84-85.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under the 24.1 Billion Yen Credit extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the ANPARA 'B' Thermal Power Station Construction Project of the Uttar Pradesh State Electricity Board (UPSEB) as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 27-ITC(PN)|85-88 DATED THE 13TH AUGUST, 1985

Licensing conditions in respect of Imports of goods and services under the yen credit of yen 24.1 billion for the implementation of the ANPARA 'B' Thermal Power Station construction project of the Uttar Pradesh state Electricity Board (UPSEB), extended by the overseas economic cooperation fund (OECF) of Japan.

Section I—Generation Conditions

I(i) TheYen Credit of Yen 24.1 billion extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Anpara 'B' Thermal Power Station Construction Project of UPSEB is untied in favour of developing countries including India and Japan. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be procured from Japan and all countries (including India) enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I(ii) Import Licence (s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD|CG Committee. The value of import licence(s) issued under this credit should not exceed Yen 26.5 billion (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the Exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC (PN)|74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licencee(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P20". The first and second suffix to the licence code will be "S|JC". This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to UPSEB, a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (Japan Section).

I(iii) Import licence(s) can be issued only in favour of UPSEB on CIF basis.

I(iv) Depending on the convenience of UPSEB more than one import licence may not be issued under this credit, but the total value must not exceed Yen 26.5 billion (CIF) as specified at (i) above.

Licences will be issued with initial validty period of 24 months.

I(v) The extension of the validity of the import licence, may on application by UPSEB, be granted

for a further period of 12 months. Requests for further extension|issue of a fresh import licence, if any, may be referred to Deptt. of Economic Affairs (Japan Section).

I(vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I(vii) No reimittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian Rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I(viii) Firm order must be placed on FOB|C&F basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Insurance charges will be payable in India in Indian ruppes. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian Licencee on the Overseas supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and|or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licencee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the Licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licencee. Only on production by the licencee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I (x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Overseas supplier The contract should provide for the period of delivery of goods as follows:

> ".... .....Months after the receipt of Letter of Credit but to be completed latest by the end of....."

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-88.

Section II.—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II (i) The FOB|C&F value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II (ii) The procurement of all goods and services except consulting services to be financed under the OECF Yen Credit for the Anpara 'B' Thermal power Project shall be made in accordance with the Guidelines for procurement under the OECF Loan No. ID-P-20.

(a) The UPSEB shall procure goods & services to be financed out of the proceeds of the loan through Formal Open International Tendering with prequalification and on turnkey contract basis.

(b) The UPSEB shall obtain the prior approval of the Fund if it wishes to adopt procurement procedures other than Formal Open International Tendering, submitting to the Fund an application for Approval of Procurement Method(s) signed by a duly authorised person.

(c) Before advertisement and|or notification of prequalification, the UPSEB shall submit to the Fund for its approval the prequalification documents. When the prequalified firms have been selected, the UPSEB shall submit to the Fund for its approval the list of those firms and report on the selection process giving the reasons for the selection made, attaching all relevant documents.

(d) Prior to inviting bids for procurement of goods and services, the UPSEB shall submit to the Fund for its approval all notices and instructions to bidders, the bid form, the proposed contract, specifications and drawings and all other documents related to the bidding.

(e) Prior to issuing a notice of award to the successful bidder, the U.P.S.E.B. shall submit to the Fund for its approval the analysis of bids and the proposal for award of the contract.

(f) The documents stated above will be submitted by the U.P.S.E.B. to the Department of Economic Affairs, in duplicate, for obtaining approval of OECF.

(g) The full paragraph of Article V of the Procurement Guidelines shall be disregarded.

(h) The bidding documents shall state which are the eligible source countries.

(i) In the evaluation of bids and/or the conclusion of contracts, any bidder and or contractor shall not be granted a margin of preference.

(j) It should be noted that purchase contracts will be notified by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) to the OECF only after obtaining the OECF approval of the documents referred to above.

II (iii) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P20 for 1982-83, the details of which are given in Section VII below.

II (iv) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contracts may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtined soon after the date of issue of the import licence.

II (v) Eligibility of Supplier

The suppliers shall be nationals of the eligible source countries, or juridical persons incorporated and registered in eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source countries.

II (vi) Permissible imports from non-eligible source countries

Financing of goods which contain materials orginating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty per cent (30 per cent) of the price per unit of such products in accordance with the following formulae :

$$\frac{\text{IMPORTED CIF PRICE plus Imported Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

(In case of Indian Supplier, Ex-factory Price shall be adopted.)

II (vii) Declaration in Contract.

The following declaration as to the eligibility of the goods and supplier, signed and dated by the supplier, shall be added to each contract.

"I the undersigned hereby certify that the goods to be supplied are produced in———— (name of eligible source country).

I the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty per cent (30 per cent) in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{IMPORTED CIF PRICE plus Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

(Where applicable Ex-factory Price)

"I, the undersigned, hereby certify that———— (Name of company) has been incorporated and registered in ———— (name of eligible source country), and is controlled by nationals of———— (Name of eligible source countries concerned)".

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts

III (i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

(a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 26th December, 1984 concerning the Yen Credit No. ID-P. 20 (Project Aid) for Anpara 'B' Thermal Power Project of U.P.S.E.B. and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.

(b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable Letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the Loan Agreement No. ID-P. 20 dated 26th December, 1984 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

(c) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.

(d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II(vii) above.

(e) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo, informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embasy of India atleast six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian Importers require it this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by OECF

IV (i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licencee should forward 4 copies of the contract duly signed by both UPSEB and Overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the Overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

IV (ii) The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV (iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen Credit No. ID-P 20 (Project Aid) for Anpara 'B' Thermal Power Project of the U.P.S.E.B.

Section V—Payment to the overseas suppliers—Letter of Credit Procedure.

V (i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UPSEB and the CAA & A will be informed of the same. Whereafter the UPSEB should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, (hereinafter referred to as CAA & A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure-II for issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure-III addressed to the Yokyo Branch of the Bank of India for opening an Irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure-IV (for imports) or Annexure-V (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, UPSEB, the importer's Bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V (ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-IV (applicable to imports) or V (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's bank in India and the CAA&A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA & A would inso-facto apply to all such amendments to letter of authorisation|letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V (iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V (iv) Banking Charges payable to the Bank of India, Tokyo for opening the letter of credit, for negotiations thereunder and charges if any of overseas suppliers' bankers are to be borne by the overseas supplier|importer. Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the period counting from the date of payment of the cost of imports by them to the overseas suppliers to the date of reimbursement by the OECF, shall be settled by the concerned importers bank in India by remittance to the Bank of India, Tokyo through normal banking channels without affecting the Government of India's account.

V (v) Reimbursement Procedure

Procedure for disbursement of the proceeds of the loan for the purchase of goods and services from Indian Suppliers shall be in accordance with Reimbursement Procedure of the loan with the following supplemental stipulation :

The exchange rate of Indian Rupee per Japanese Yen shall be as ruling on the date of bid opening as specified in Section 4.07 of the Guidelines. Along with the Request for Reimbursement, the Borrower shall also furnish a certificate from a recognized bank certifying the Yen-Rupee exchange rate on the day of bid opening.

Section VI—Employment of Consultants :

Consultants shall be employed in accordance with "Guidelines for the Employment of Consultants by OECF Borrowers" attached to the Loan agreement with the following supplemental stipulations :

(i) The consulting firms shall satisfy all of the following conditions :

(a) A majority of the subscribed shares shall be held by nationals of the Eligible Source Countries;

(b) A majority of the full-time directors shall be nationals of the Eligible Source Countries;

(c) Such firms shall be incorporated and registered in the Eligible Source Countries.

(ii) The importer shall submit to the Fund immediately after the conclusion of the loan agreement for its review the copies of :—

(i) Terms of Reference

(ii) Short List of Consultants

(iii) Letter of Invitation

(iv) Evaluation Report including Summary Evaluation Sheet.

(iii) The following declaration as to the eligibility of the Consultant, signed and dated by the Consultant, shall be attached to each contract;

"I, the undersigned, hereby certify that———— (name of firm) has been incorporated and registered in————(name of the Eligible Source Country concerned), and is an eligible consulting firm——— per cent (———per cent) of the subscribed shares being held by nationals of ———(name of the Eligible Source Countries concerned) and ——— per cent (———per cent) of the full time directors being nationals of——— (name of the Eligible Source Countries concerned)".

(iv) When the contract is awarded to a Consultant of an eligible source country other than Japan, the contract price shall be stated and payable in Japanese Yen or United States Dollars. When the contract is awarded to a Japanese consultant, the contract price shall be stated and payable in Japanese Yen.

The contract shall be subject to the approval of the Government of India|OECF.

(v) The documents stated above for review|approval of the Fund shall be submitted by the UPSEB to the Fund through the Department of Economic Affairs indicating the following :—

(a) Percentage of the subscribed shares held by nationals of Eligible Source Countries.

(b) Percentages of the full-time directors who are nationals of the Eligible Source Countries.

Section VII—Responsibility for rupee deposit :

VII (i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of importer as indicated in the Appendix to the relevant letter of Authority and the banker will in turn ensure that the rupee deposits are invariably made at RBI, New Delhi or SBI, Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. Interest charges on the rupee-equivalents of the Yen payments calculated @ 12 per cent per annum for the first 30 days and @ 18 per cent per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Overseas Supplier to the date of actual rupee deposit, have also to be deposited alongwith the principal payment, in terms of Public Notice no. 31-ITC(PN)|83 dated 10-8-83. It should be noted that interest is chargeable for both the days i.e. the day on which payments made to the Overseas Supplier and also the day on which rupee deposit is made in Government Account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)|74 dated 12-10-1976.

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notices No. 109-ITC(PN)|74 dated 3-8-1974 and No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India.

Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their Bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited into the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities under exceptional circumstances. In case the importer fails to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further LAS to him may be stopped and the matter reported to the CCI&E so that no further import licence is issued to such an importer. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and advances—843—Civil Deposits—Deposits for purchase etc. abroad—Purchase under credits|Loan agreements" Loan from the Government of Japan—24.1 Billion Yen Credit No. ID-P.20 for the Anpara 'B' Thermal Power Project.

VII (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or State Bank of India, Tis Hazari Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC (PN)|68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)'76 dated 12-10-1976.

VII (iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs). While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers,their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury Challans:

(a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.

(b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the Rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note: Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VII (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VIII—Miscellaneous provisions.

VIII (i) Reports on the utilisation of the import licence.

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding ship-

ments and payments made thereagainst and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VIII (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VIII (iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-II under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VIII (iv) Future Instructions

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) no. ID-P.20 with to Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VII (v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VIII (vi) List of Annexures

Annexure—I List of eligible source countries.

Annexure—II Request for issue of Letter of Authority.

Annexure—III Form of Letter of Authority.

Annexure—IV Form of Letter of Credit (Applicable to Imports).

Annexure—V Form of Letter of Credit. (Applicable to Services)

ANNEXURE I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. Developing Countries and Territories

(a 1) Non-OPEC Developing Countries

I. AFRICA, orth of Sahara

Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara

Angola
Botswana
Burundi
Camereon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, Peoples Republic of Dahomay.
Equatorial Guinea (1)
Ethiopia
Gambia
Ghana
Gunnea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania, Mauritius
Moozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and dep (2)
Sao Tomo and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro Afars and Issas
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zaire Repulic
Zambia

III. AMERICA, North and Central

Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Gautemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands Antilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre and Miquelon
Trinidad and Tobago

1. Formerly the territory of Apanish Guinea, including the island of Fernando Po.

2. Including the following islands: Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

3. Main islands, Aruba, Bonaire, Curracao, Saba, St. Eustacit St. Martin (Southern part).

AMERICA, North & Central

(Continued)

West Indies (Br.) n. i.c.

(a) Associated States (1).

(b) Dependencies (2).

IV. AMERICA, South

Argentina.
Bolivia.
Brazil.
Chile.
Colombia
Falkland Islands
Grench Guiana.
Guyana.
Paraguay.
Peru.
Surinam.
Uruguay.

V. ASIA, Middle East

Bahrain.
Israel.
Jordan.
Lebanon.
Oman.
Syrian Arab Republic.
United Arab Emirates (3).
Yemen Arab Republic.
Yemen, Peoples D.R. (4).

VI. ASIA, South

Afghanistan.
Bangladesh.
Bhutan.
Burma.
India.
Maldivis.
Nepal.
Pakistan.
Sri Lanka.

VII. ASIA, Far East

Brunei.
Hong Kong.
Khmer Republic.
Korea, Republic of Laos.
Macao.
Malaysia.
Phillippines.
Singapore.
Taiwan.

Thailand.
Timor.
Viet-Nam, Rep. of
Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. OCEANIA

Cook Islands.
Fiji.
Gilbert & Ellice Is.
French Polynesia (5).
Nauru.
New Calendonia.
New Hebrices (Br. and Fr).
Niue.
Pacific Islands (US) (6).
Papua New Guinea.
Solomon Islands (Br.).
Tonga.
Wallis and Futuna.
Western Samoa.

IX. EUROPE

Cyprus.
Gibraltar.
Greece.
Malta.
Spain.
Turkey.
Yugoslavia.

1. Main islands · Antigue, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristophe), Nēvis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

2. Main islands, Montserrat, Cayman, Turks and Caicos and British Virgin Islands.

3. Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.

4. Including Aden and various sultanates and emirates.

5. Comprising the Society of Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

6. Trust Territory of the Pacific Islands : Garoline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

(2) Member or Association Countries of OPEC

Algeria.
Bolivia.
Libyan Arab Republic.
Goban.
Nigeria.
Ecuador.
Venezuela.
Iran.
Iraq.
Kuwait.
Qatar.
Saudi Arabia.
Abu Dhabi.
Indonesia.

ANNEXURE—II

REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY

No. Date

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
NEW DELHI-110001.

Sub : Import of from Japan under the Yen Credit No. ID-P. 20 (Project Aid for 1982-83).

Sir,

In connection with the import of———— from———— under the above mentioned Yen Credit No. ID-P. 20 (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the ———— (name of the Bank) which should be the same as given in (b) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

(a) Name and Address of the Indian importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement--whether it is based on direct purchase or formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reaons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.

(g) Gross FOB|C&F value of contract (in Yen).

(h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any.

(i) Net FOB|C&F value (in Yen) for which the Letter of Authority is required.

(j) Number and date of the contract with overseas suppliers.

(k) Name and address of the Overseas Supplier :

(i) Nationality.

(ii) Percentage of the shares held by Nationals of the eligible source countries.

(iii) Nationality of the representative and|or President of the supplier.

(iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.

(l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(m) Expected date of completion of deliveries.

(n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(o) Shipment instructions (indicate if transshipment|part-shipment permitted or not permitted).

(p) Name and address of the importer's bank in India.

(q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and it so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the OECF.

(r) Whether the banking charges payable to Bank of India, Tokyo for operation and maintenance of Letter of Credit are to be borne by the Importers or Supplier.

(s) Undertaking by the importer :—

"We hereby undertake to make full and correct deposit of the rupee equivalent etc., of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by Government. The deposits will be made promptly before taking delivery of each consignment of the goods (material imported). In case of payments for services of foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant invoices of the foreign suppliers are approved by us and the Payments made to the suppliers."

Yours faithfully,

ANNEXURE—III

(Letter of Authority Form)

No. F.

Government of India

Ministry of Finance

Department of Economic Affairs
New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch
Tokyo (Japan).

Subject : Import under Yen Credit (Project Aid) Loan Agreement No. ID-P. 20—Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated———— entered into with

your Bank, you are hereby authorised to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen———— favouring M|s.————

————————

————————

as per attached details.

A copy of each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

Payment to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you can claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

Interest charges payable to you, for the time lag between the date of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement to you by the OECF, shall be settled by you with the concerned Importers bank in through normal banking channels without affecting the payment of India's account. In other banking charges including those on account of opening, maintenance and for the operative of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the Overseas Supplier|Importer and may, therefore, be rerecovered from the Suppliers|Importer directly. No reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you are reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form would be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L|C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L|C or further fresh L|Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto—————.

Yours faithfully,

(Accounts Officer)

Copy forwarded to :—

1. Importer————————with reference to ————————

their letter No. ———— dated ————.

————————

————————

They are requested to arrange to deposit through their Bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner, before taking delivery of the negotiable documents from the Bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and Port authorities without furnishing the original shipping documents, the deposits should be made before taking the delivery. In the case of payments for services rendered by foreign nationals, the deposits should be made as soon as the relevant invoices are approved for payment. Failure to make the deposits promotly and correctly may entail act on as mentioned in the Licensing Conditions.

2. Importer's Banker————————. They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notices No. 8-ITC(PN)|76, dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest at the rate of 12 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 18 per cent per annum for period in excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier|date of reimbursement to Bank of India|and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account is also required to be deposited into the Government of India Account in terms of Public Notice No. 31-ITC(PN)|83, dated 10-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas Suppliers and also the date on which rupee deposit is made into Government Account. (Any change in this rate will be intimated if and when made.). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand, corner of the challan or the SBI, Tis Hazari, Delhi. In this connection, their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)|68 dated 30-8-68, 233-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968, 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971 No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. The head of account to be credited is "K-Deposits & Advances—343—Civil Deposits—Deposit for purchases etc. abroad under Purchases under Credit. Loan Agreements"—Loans from the Government of Japan 24.1 billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P.20 for 1982-83.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the SBI, Tis Hazari, Delhi as precribed in Public Notices No.132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Ist Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee

equivalents deposited should be furnished to this Department

Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the time lag between the date of payment to the supplier and the date of its reimbursement to the Bank of India, Tokyo by the OECF shall be settled directly by you with the Bank of India, Tokyo through normal banking channels without affecting the Government of India's account.

3. The Director, Loan Department-II, overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building, 4-1, Othemachi 1-Chome, Chiyodo-Ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

ANNEXURE—IV

Form OECF-LCI

Accounts Officer

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for goods)

Date :

To

——————————

(Name and address of the Supplier)

This letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. ————dated——————

between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.———— —in your favour for account of————for a sum of sums not exceeding an aggregate amount of Yen————(Say yen————— -) available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents :

Signed commercial invoice in full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight and Notify"

other documents

evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No——— (if any) from to
Partial shipments are permitted.
Transhipment is permitted.

Bills of Lading must be dated not later than Drafts must be presented for negotiation not credit later than All Drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under irrevocable credit No. dated and Import Reference No (s) (if any)

This credit is not transferrable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivey of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special instructions to the negotiating bank :

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.

2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to ——————

3. All banking charges under this credit are for the account of importer|supplier.

Yours faithfully,

. . . .

(a commercial bank)

By——————
(Authorised Signature)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No. ——————

I. Initial Payment Amount Yen :——————
being————% of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date

II. Intermediate Payment (if any) Amount: ——————, being————% of the total contract price.

Required documents .

Latest presentation date :

III. Payment against Shipping Documents Amount Yen :——————being————% of the total contract price

Note : This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

ANNEXURE—V

Form OECF—LC II

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for Services)

Date :

To

(Name and address of the Supplier)

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. ———, dated ———, between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND

Dear Sirs,

We advise you that, we have opened our irrevocable credit No. ———— in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Yen———— Say Yen) available by beneficiary's drafts at sight for full statement value drawn on us

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No. with regard to Project). Drafts must be presented for negotiation not later than

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No. dated

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special instructions to the negotiating bank :

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority, in accordance with the form attached hereto, payment(s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments the beneficiary's Statement is required instead of the above mentioned Statement of Performance
2. After obtaining the reimbursement for our payment from the OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provision of the Letter of Commitment issued thereby under the above mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.
3. A copy of the document as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.
4. All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully,

(A commercial bank)

By : ————

(Authorised Signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No. ————

I. Initial Payment

Amount : Yen ————

being ———— % of the total contract price
Required documents : beneficiary's Statement
Latest presentation date :

II Progress payment

Aggregate amount : Yen ————

being ———— % of the total contract price to be paid as follows

	Amount due	Latest presentation date.
1st Instalment : Yen	————	————
2nd Instalment : Yen	————	————

Required document : a copy of State of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto.

Statement of Performance

Date :

Ref. No.

To ...

(Name and adress of the supplier)

Re : Letter of Credit No. ———, dated issued by————for Yen————in favour of———— concerning ———— Project under Loan Agreement No ————

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issue a Statement of Performance to entitle——— to receive the sum of————(Yen———only) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in between ——— and ———

(Borrower)

By :————

(Authorised Signature)

Special Instructions :

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.

सार्वजनिक सूचना सं. 28-आई टी सी (पी एन)/85-88

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1985

विषय : भारतीय गैस प्राधिकरण लि. (जी ए आई एल) की गैस पाइपलाइन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा लागू किए गए 20.0 बिलियन येन के येन क्रेडिट के अधीन माल और सेवाओं के सम्बन्ध में लाइसेंसिंग शर्तें ।

मिसिल सं. आई पी सी./23(19)/84-85 :—भारतीय गैस प्राधिकरण लि. (जी ए आई एल) की गैस पाइपलाइन परियोजना की आयात आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा लागू किए गए 20.0 बिलियन येन क्रेडिट के अधीन आयात लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली शर्तें जो प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं ।

राजीव लोचन मिश्रा, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 28 आई टी सी (पी एन)/85-88 दिनांक 13-8-1985 का परिशिष्ट।

भारतीय गैस प्राधिकरण लि. (जी ए आई एल) की गैस पाइप लाइन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा प्रदान किए गए 20 0 बिलियन येन क्रेडिट के अधीन माल और सेवाओं के आयात के संबंध मे लाइसेंस शर्तें।

खंड-1 सामान्य शर्तें :—

1(1) भारतीय गैस प्राधिकरण लि (जी ए आई एल) की गैस पाइप लाइन परियोजना की आयात आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा प्रदान किया गया 20.0 बिलियन येन का येन क्रेडिट जापान और भारत सहित सभी विकासशील देशों के लिए खुला है । तदनुसार, इस क्रेडिट के अधीन अधिप्राप्त किए जाने वाले माल और सेवाएं जापान और अनुबंध-1 की सूची मे उद्धृत सभी देशों से आयात किए जा सकते हैं । ये देश इस ऋण के अंतर्गत पात्र स्रोत देश होंगे ।

1(2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मदों और उसी मूल्य के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महानिदेशक, तकनीकी विकास/पजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से स्वीकृति दे दी गई हो । इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस (सों) का मूल्य 22.0 बिलियन (लागत-बीमा-भाड़ा) येन से अधिक नही होना चाहिए ।

आयात लाइसेंस का रुपये में मूल्य, राजस्व विभाग (सीमा शुल्क) द्वारा अधिसूचित विनियम दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रचलित दर और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं. 78-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 6 जून, 74 के पैरा 2 के अनुसार आयात लाइसेंस में संकेतित दर पर निर्धारित किया जाएगा । जिसमे यह उल्लेख है कि सीमा शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस (सों) मे विनिर्दिष्ट मुद्रा विनियम दर पर धनराशि को लाइसेंस मूल्य के नामे डालेंगे । लाइसेंस पर "जापानी येन क्रेडिट सं. आई डी पी 30" प्रत्यय होगा । प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में "एस/जेसी" कोड होगा । भारतीय गैस प्राधिकरण लि. (जी ए आई एल) को आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र में भी इसे दुहराया जाएगा, जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए ।

1(3) आयात लाइसेंस केवल जी ए आई एल के नाम में लागत बीमा भाडा के आधार पर जारी किये जा सकते हैं ।

1(4) जी ए आई एल की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस इस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं । लेकिन जैसा कि ऊपर (2) में निर्दिष्ट किया गया है कुल मूल्य 22.0 बिलियन (लागत-बीमा-भाड़ा) येन से अधिक नही होना चाहिए ।

1(5) लाइसेंस 24 महीने की प्रारम्भिक वैधता अवधि के साथ जारी किए जाएंगे । जी ए आई एल द्वारा आवेदन करने पर आयात लाइसेंस की वैधता मे 12 माह की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान की जा सकती है । आगे और वृद्धि करने के लिए/नया आयात लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन यदि कोई हो, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजा जाना चाहिए ।

1(6) क्रेडिट के अधीन वित्त पोषित किए जाने वाले आयात, आयात लाइसेंसों मे संलग्न लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित माल और सेवाओं की सूची तक प्रतिबंधित है ।

1(7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नही दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए । लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे ।

1(8) पक्के आदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित देशों मे स्थित विदेशी संभरकों को जहाज पर निशुल्क लागत और

भाड़ा आधार पर दिए जाने चाहिएं और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए । भाड़ा बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रुपए में भारत में देय होगा । "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों से है जो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्रय संविदा हो । विदेशी संभरकों के भारतीय अभिकर्त्ताओं के आदेश या ऐसे भारतीय अभिकर्त्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है ।

1(9) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का पालन तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्व दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को न पहुंच जाए । यदि उपर्युक्त पैरा 1 (8) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश किन्हीं वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस की सम्बन्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए । आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा । वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं । लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे । जिसको वे लाइसेंसधारी को सूचित करेंगे । लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय पदाधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन लिए गए संभरण ठेकों में बैंक गारंटी साख पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र, तुल्य रुपया जमा करने आदि की स्वीकृति की सुविधाओं की अनुमति देंगे ।

1(10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिए । माल के पोत लदान पर अलग-अलग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए । ठेके में नकद आधार पर अर्थात् पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए । विदेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किस्म की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए :—

"साख-पत्र की प्राप्ति के बाद ..... महीने
परन्तु अधिक से अधिक .....
के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना है।

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-12-88 के बाद की न हो।

खंड-2 संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें

2(1) ठेके का जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत और भाड़ा मूल्य येन में (येन की भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए।

भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2(2) गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए ओ ई सी एफ येन क्रेडिट के अधीन वित्त पोषित किए जाने वाले सभी माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति ऋण (आई डी-पी. 30) के अंतर्गत अधिप्राप्ति के मार्गदर्शन बिंदुओं के अनुसार की जाएगी।

(क) भारतीय गैस प्राधिकरण लि. ऋण की रकम में से वित्तपोषित किए जाने वाले माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति खुली सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के माध्यम से करेगा। भारतीय गैस प्राधिकरण लि. यदि खुली सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से भिन्न कोई अन्य अधिप्राप्ति की क्रियाविधि अपनाना चाहता है तो इसके लिए उसे आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से ओ ई सी एफ को आवेदन पत्र प्रस्तुत करके उससे पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(ख) सफल बोलीकार को निर्णय का नोटिस जारी करने से पहले भारत का गैस प्राधिकरण लि. बोलियों के विश्लेषण और ठेके के निर्णय के लिए प्रस्ताव को ओ ई सी एफ को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। उसी समय भारत का गैस प्राधिकरण लि. बोलीकारों के लिए सभी नोटिस, अनुदेश, बोली के प्रपत्र, प्रस्तावित ठेका विशिष्टिकरण, ड्राइंग और बोली से संबंधित अन्य सभी दस्तावेज ओ ई सी एफ को प्रस्तुत करेगा।

(ग) ओ ई सी एफ को भारत के गैस प्राधिकरण लि. द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज (दो प्रतियों में) आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे।

(घ) बोली संबंधी दस्तावेजों में पात्र स्रोत देशों के नाम उल्लिखित होंगे।

(ङ) बोलियों के मूल्यांकन में किसी भी बोलीकार को कोई भी अधिमानता नहीं दी जाएगी।

2(3) विदेशी संभरकों को भुगतान, उनके नाम में भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा 1984-85 के लिए ओ ई सी एफ येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं. आई डी-पी-30 के अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए। जिसका ब्यौरा नीचे खंड-6 में दिया गया है।

2(4) संभरक की पात्रता

संभरक, पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे या पात्र स्रोत देशों में शामिल किए गए तथा पंजीकृत किए गए पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा शासित वैध व्यक्ति होंगे।

2(5) अपात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयात

जिन वस्तुओं में अपात्र स्रोत देशों में बना हुई सामग्री निहित है उसका विस्थापन किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार ऐसे उत्पाद का प्रति एकक का मूल्य मदवार आधार पर आयातित भाग 30 प्रतिशत से कम हो :—

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य} + \text{आयातक शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य}} \times 100$$

(भारतीय संभरक के मामले में कारखाना मूल्य अपनाया जाएगा)

2(6) संविदा में घोषणा

प्रत्येक संविदा में संभरक द्वारा माल एवं संभरक की पात्रता और संभरक के हस्ताक्षर और तारीख से निम्नलिखित घोषणा जोड़ी जाएगी:—

"मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि संभरित किया जाने वाला माल ..... (संबंधित पात्र स्रोत देश का नाम) में उत्पादित है।"

"मैं, अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र स्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 30% से कम है :—

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा-भाड़ा मूल्य} + \text{आयात शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर निशुल्क मूल्य}} \times 100"$$

(कारखाना मूल्य जहां कहीं लागू हो)

"मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि ... (पात्र स्रोत देश का नाम) में ..... (कंपनी का नाम) समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र स्रोत देशों के कोंडिट्रा द्वारा नियंत्रित है"।

खंड-3 संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें

3(1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए :—

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) के बीच भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. की गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए येन क्रेडिट सं. ओ ई डी-पी-30 (परियोजना सहायता) से संबंधित 26 दिसंबर, 1984 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा।

(ख) संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) के बीच येन क्रेडिट सं. आई डी पी-30 से संबंधित 26 दिसंबर, 84 को हुए ऋण समझौते के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किए जाएंगे।

(ग) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओ ई सी एफ द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हों।

(घ) 2(6) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण पत्र (तीन प्रतियों में)

(ङ) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण संविदा के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को, यथामिल माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम से अवगत करायेगा और पोतलदान से कम से कम 6 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक इच्छुक हो, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक को प्रत्येक पोतलदान के पश्चात् आवश्यक ब्यौरे देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खण्ड 4 विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा ठेके का अनुमोदन

4(1) लाइसेंसधारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर भारतीय गैस प्राधिकरण लि. और

विदेशी संभरकों दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियों जो विदेशी संभरकों द्वारा लिखित में पुष्टि आदेश के साथ हों या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां संगत वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित, जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

4(2) उपर्युक्त क्रियाविधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विषयवस्तु के लिए अनिवार्य अशोधिनों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी।

4(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग, भारतीय गैस प्राधिकरण की गैस पाइपलाइन के लिए येन क्रेडिट सं आई डी पी-30 परियोजना सहायता के अन्तर्गत वित्तदान सहकारिता करने के लिए विदेशी आर्थिक निधि (ओ ई सी एफ) को संविदा दस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा।

खंड-5 विदेशी संभरकों को भुगतान साखपत्र क्रियाविधि

5(1) विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) से ठेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग जापान अनुभाग द्वारा भारतीय प्राधिकरण लि. और सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक को उसकी सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद भारतीय गैस प्राधिकरण लि. सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद सी ए ए एंड ए कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबंध-3 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करना चाहिए। सी ए ए एंड ए संबंधित विदेशी संभरक के लिए संलग्न प्रपत्र-4 (आयातों के लिए) में एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा। जो संबद्ध विदेशी संभरक के नाम में वास्तविक आयातों के लिए संलग्न अनुबंध-5 (सेवाओं के लिए) के रूप में अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए भारतीय बैंक की टोकियो शाखा को भेजा जाना चाहिए। प्राधिकार पत्र की प्रतियां विदेशी आर्थिक सहयोग निधि ओ ई सी एफ) भारतीय दूतावास, टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएंगी।

5(2) प्राधिकार पत्र मिलने पर, भारतीय बैंक, टोकियो अनुबंध-4 (आयातों के लिए लागू होता है) या 5 (सेवाओं के लिए लागू होता है) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ), भारतीय दूतावास, टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा।

सी ए ए एंड ए से प्राधिकार पत्र के आधार पर साखपत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि, संविदा संशोधन या अन्यथा के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे सभी प्राधिकार पत्र/साखपत्रों के संशोधनों पर स्वतः लागू होगी।

5(3) माल का पोतदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से साख पत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक ऑफ इंडिया टोकियो को प्रस्तुत करेगा। (यदि दस्तावेज सही पाए गए) तो बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक निधि से प्राप्त करेगा।

5(4) साख पत्र खोलने उसके अधीन सौदा करने और यदि कोई विदेशी संभरकों के बैंकरों के अन्य प्रभारों के लिए बैंक ऑफ इंडिया टोकियो को देय बैंकिंग प्रभार/आयातक/विदेशी संभरकों द्वारा चुकाएं जाएंगे। उस अवधि के लिए बैंक आफ इंडिया टोकियो को देय बैंक प्रभार जो कि उनके द्वारा आयातों की कीमत के भुगतान की तारीख से ओ ई सी एफ द्वारा विदेशी संभरकों को प्रतिपूर्ति की तारीख तक होगा, का निपटान, भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया के लिए प्रेषण द्वारा भारत में आयातक के संबंद्ध बैंक द्वारा किया जाएगा।

5(5) प्रतिपूर्ति क्रियाविधि

भारतीय संभरकों से माल एवं सेवाओं की खरीद के लिए ऋण की धनराशि के वितरण के लिए क्रियाविधि, ऋण समझौता (आई डी-पी-30) की प्रतिपूर्ति क्रियाविधि के अनुसार होगी।

प्रति जापानी येन के लिए भारतीय रुपए की विनिमय दर, निर्देश (गाइडलाइंस) की धारा 4.07 में यथा विशिष्ट-कृत बोली खुलने की तारीख को प्रचलित दर होगी। प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन के साथ ऋणी मान्यता प्राप्त बैंक से एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेगा जिसमें बोली खुलने की तारीख को येन रुपए की विनिमय दर का सत्यापन किया जाएगा।

खंड-6 रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व

6(1) भारतीय बैंक, टोकियो संगत प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट में संकेतित अनुसार आयातक के प्राधिकृत बैंकर को निरपवाद रूप से लेन-देन के पोत परिवहन दस्तावेज रिहा होने से पहले इस बात का सुनिश्चित करेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी दिल्ली में रुपया निक्षेप कर दिया गया है। प्रथम 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से गिनी गई येन भुगतान के समतुल्य रुपए के लिए ब्याज प्रभार और वास्तविक रुप या निक्षेप की तारीख से विदेशी संभरक को बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तारीख तक 18 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभार की मूल धनराशि के साथ सार्वजनिक सूचना सं. 31 आईटीसी (पीएन)/83, दिनांक 10-8-83 के अनुसार जमा कराने पड़ेंगे। इस बात

को नोट कर लिया जाना चाहिए कि इन दोनों दिनों अर्थात् जिस तारीख को भुगतान किया जाता है और जिस तारीख को सार्वजनिक सूचना सं. 103/आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 12-10-74 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 के अनुसार ब्याज सरकारी लेखे में जमा किया जाता है, उन दोनों दिनों के लिए ब्याज लिया जाएगा।

विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय की दर भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं. 109-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 3-8-74 और सं. 8-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो अथवा जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो। इस संबंध में और ब्याज की दर के संबंध में भी जब भी कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बैंक की जिम्मेदारी होगी कि देय धनराशि आयातकों को आयात दस्तावेज सौंपने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है। आयातक को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि देय धनराशि अपने ऋणदाताओं से दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए आयातक की जिम्मेदारी होगी कि देय धनराशि सरकारी खाते में ठीक प्रकार से तुरन्त जमा कर दी है भले ही जब वे विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी प्राप्त करते हैं। यदि आयातक सरकार को देय धनराशि या माल की सुपुर्दगी लेने से पहले जमा नहीं कर पाता तो आगे के लिए उसे प्राधिकार पत्र देना बन्द कर दिया जाए और मामले की रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को दी जाए ताकि ऐसे आयातक को आगे और आयात लाइसेंस जारी न किए जाएं। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज-843 सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परचेजिज एटस्ट्रा एग्रीड अंडर क्रेडिट लोन एग्रीमेंट"—लोन फ्रोम दि गवर्नमेंट आफ जापान 20.0 बिलियन येन क्रेडिट सं. आई डी-पी30 फार दि गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट होना चाहिए।

6(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में चालान के ऊपर दाहिनी ओर कोने में कोड सं. 5130000009 का संकेत देते हुए सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना सं. 184-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 30-8-68, सं. 233-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 24-10-68, सं. 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71, सं. 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित तरीके में जमा होना चाहिए।

6(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से यह अतिरिक्त धनराशि सेवा कार्यों के निमित्त भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71 के पैरा-2 में निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो)" के पूर्ण ब्यौरे में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर पर निक्षेप किए जाते है।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।

उसके पश्चात सी ए ए एण्ड ए द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेज को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी ए ए एण्ड ए को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी :—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुपये का निक्षेप भारतीय बैंक, टोकियो की अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी ए ए एण्ड ए वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

6(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई को भेजना चाहिए।

खंड-7 विविध व्यवस्थाएं

7(1) आयात लाइसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट

आयातक का पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साख पत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

7(2) संभरकों की विशेष शर्तें अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी के आयात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबंधों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लाने में संभरक पर प्रभाव डालती है।

7(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुबंध-3 में "भुगतान की शर्त" के अंतर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से सम्बद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए।

7(4) भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट समझौते (परियोजना सहायता) सं. आईडीपी-30 के अधीन सभी आभारों को विदेशी आर्थिक निगम निधि, जापान (ओ ई सी एफ) के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

7(5) अतिक्रमन या उल्लंघन

उपर्युक्त खंडों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

7(6) अनुबंधों की सूची

अनुबंध–1	पात्र स्रोत देशों की सूची
अनुबंध–2	प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध
अनुबंध–3	प्राधिकार पत्र का प्रपत्र
अनुबंध–4	साख पत्र का प्रपत्र (आयातों के लिए लागू)
अनुबंध–5	साख पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू)

अनुबंध–1

पात्र स्रोत देशों की सूची

(क) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र

(क-1) विदेशी आर्थिक सहयोग से भिन्न विकासशील देश

1. अफ्रीका उत्तरी, सहारा

मिश्र	मोरोको	तुनीशिया

अफ्रीका, दक्षिणी सहारा

अंगोला	बोत्सवाना	बुरुण्डी
कैमेरन	केय वर्डी द्वीप समूह	केन्द्रीय अफ्रीका गणतंत्र
चाड	कमोरो द्वीप समूह	कांगो, दाहोमे का गणतंत्र
मध्य गिनि(1)	इथोपिया	गैम्बिया
घाना	गिनी	आइवेरी कोस्ट
कीनिया	लेसोथो	लाइबेरिया
मालागासी गणतंत्र	मालावी	माली
मारितेनिया, मारीशस	मूजम्बिक	नाइजर
पुर्तगाली गिनी	रियूनियम	रोडेशिया
टोण्डा	सेंट हेलिमा और डेप(2)	साओ टोम और प्रिन्सइप
सेनेगल से	सेचिलिज	सिएरा लिओन
सोमालिया	सूडान	स्वाजीलैण्ड
टेरी आफर्स और इस्सास	टोगो	युगान्डा
तंजानिया गणतंत्र संघ	अपर वोल्टा	जाइरे , गणतंत्र
जाम्बिया		

अमरीका, उत्तरी और केन्द्रीय :

बेहमस	बारबाडोज	बेलाइज
बेरमूडा	कोस्टारिका	क्यूबा
डोमिनिकन गणतंत्र	एल सालवाडोर	गुवाडे लोप
ग्वाटेमाला	हेती	होन्ड्रस
जमैका	मार्टिनिक	मैक्सिको
नीदर लैण्ड अन्टिलीज	निकारगुवा	पनामा
सेन पियरो और निकेलान	ट्रिनीडाड और टोबागो	वेस्टइण्डीज (शारा) एनआई ई

(क) सह-संबद्ध राज्य (1)

(ख) आश्रित (2)

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, फरोन्डा पो द्वीप सहित

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित :
असेन्शन, ट्रिस्तन्डा इन एसौसिवल्स, नाइटिनोल, गफ

(3) मुख्य द्वीप समूह, अरुबा, बोनाइरे, क्यूराकोओं, साहा, सेन्ट यूस्टासिट सेन्ट मारटिन (दक्षिण भाग)

4. दक्षिणी अमेरिका

अर्जेन्टीना	बोलिविया	ब्राजील
चिली	कोलम्बिया	फाल्क लैण्ड द्वीप समूह
फ्रांसीसी गुयाना	गुयाना	पराग्वे
पीरू	सूरिनाम	उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया

बहरीन	इजराइल	जोर्डन
लेबनान	ओमन	सिरिआई अरब गणतंत्र
यूनाइटिड अरब अमीरात (3)	यमन अरब गणतंत्र	यमन जनवादी का डी आर (4)

6. दक्षिणी एशिया

अफगानिस्तान	बांगला देश	भूटान
बर्मा	भारत	माल द्वीप
नेपाल	पाकिस्तान	श्री लंका

7. सुदूर पूर्वी एशिया

ब्रुनी	हांगकांग	खमेर गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र	लाओस	मकाओ
मलेशिया	फिलिपाइन	सिंगापुर
ताइवान	थाइलैण्ड	तिमोर
वियतनाम गणतंत्र	वियतनाम जनवादी गणतंत्र	

8. सोसीनिया

कोक द्वीप समूह	फिजी	गिल्वर्ट और इलाइस द्वीप
फ्रांसिसी पोलिनेशिया (5)	नारू	न्यूवेलेन्डोनिया
न्यूहेब्रिसिस (ब्रि और फ्र)	नियू	पौलिपिक द्वीप समूह संयुक्त राज्य (6)
पापुवा न्यू गिनी	सोलोमन द्वीप समूह (ब्रा)	टोंगा
वालिस और फुतुना	पश्चिमी सागोआ	

9. यूरोप

साइप्रस	जिब्राल्टर	ग्रीक
माल्टा	स्पेन	तुर्की
यूगोस्लाविया		

(1) मुख्य द्वीप एन्टिगुवा, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेन्ट किट्स (सेन्ट क्रिस्टोफर) नेविस-अंगुइला, सेन्ट लुसिया और सेन्ट विसेन्ट ।

(2) मेन आईलैण्ड, मोन्तेसरत, सेपान, तुर्की और काइकीप और ब्रिटिश बरजिन द्वीप समूह ।

(3) अजमन, दुबई, फुजाइरत, रास अल सेमाह, शरजाह और उप आफ क्वेवेन ।

(4) अदन और विभिन्न सलतनत और अमीरात सहित ।

(5) सोसायटी आईलैण्ड्स समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए आस्ट्रल द्वीप समूह, टुआसोट, जाम्बियर ग्रुप और पाकेसस द्वीप समूह ।

(6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश, कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (ग्राम को छोड़कर)

(क) 2-ओ पी ई सी के सदस्य या सहयोगी देश

अल्जीरिया	बोलिविया	लीबियाई अरब गणतंत्र
गेबोन	नाइजीरिया	इक्वेडोर
वेनजुइला	ईरान	ईराक
कुवैत	कतर	सऊदी अरब
आबू-धाबी	इन्डोनेशिया	

अनुबंध 2

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र

संख्या ..... दिनांक .....

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय :—येन क्रेडिट सं. आई डी पी 30 (1984–85 के लिए परियोजना सहायता) के अंतर्गत जापान से .....का आयात ।

महोदय ,

ऊपर उल्लिखित येन क्रेडिट सं. आई डी-पी 30 (परियोजना सहायता) के अधीन .....से ..... के आयात के संबंध में हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते है जिससे कि आप संबद्ध विदेशी संभरक के नाम में साखपत्र खोलने के लिए ..... (बैंक का नाम) को प्राधिकार पत्र जारी कर सके। यह बैंक वह होना चाहिए जो नीचे (ण) में दिया गया है ।

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है ।

(ग) प्राप्ति के तरीके— क्या वह सीधे क्रया या औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है । इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो, कारण सहित यह उल्लेख होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपर्युक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है ।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण

(ङ) माल का उदगम देश

(च) यदि कोई हो तो, पात्र देश से इतर स्रोत देशों से आयातित संघटकों का प्रतिशत ।

(छ) भारतीय एन्जेट के कमीशन की धनराशि (येन में) यदि कोई हो ।

(ज) कुल जहाज पर्यन्त निशुल्क या लागत और भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए प्राधिकार पत्र अपेक्षित है ।

(झ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक

(ञ) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता

(ट) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथियां जिनको संविदा के अंतर्गत भुगतान देय होंगे ।

(ठ) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि ।

(ड) बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए)

(ढ) पोतलदान अनुदेश (वाहनान्तरण/पार्टशिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं, निर्दिष्ट कीजिए)

(ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता

(त) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाएं) की गई हैं और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई हैं, यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा की संख्या, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अंतर्गत ओ ई सी एफ को इसे अधिसूचित किया गया है ।

(थ) क्या साखपत्र के संचालन और रख-रखाव के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय बैंक खर्चे आयातकों/या संभरकों द्वारा वहन किए जाने है ।

(द) आयातक द्वारा वचनबद्धता :—
"हम एतद्द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से और दर से विदेशी संभरक को किए गए भुगतान के समतुल्य रुपये को पूरा और सही जमा करने का वचन देते है । प्रत्येक निक्षेप माल (आयातित सामग्री) का सुपर्दगी सौपने से पूर्व तत्काल ही धनराशियां जमा कराई जाएंगी । विदेशी राष्ट्रीयता वालों की सेवाओं के लिए भुगतानों के मामले में, दिए गए ज्यों ही विदेशी संभरकों के सम्बद्ध बीजक हमारे द्वारा अनुमोदित कर दिए जाएं और संभरकों को भुगतान कर दिया जाए, त्यों ही धनराशिया जमा करा दी जाए ।

अनुबंध 3

सं. एफ
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया

टोकियो शाखा,

टोकियो (जापान)

विषय :– येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) ऋण करार सं. आई डी पी 30 के अधीन आयात—साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना ।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 25-3-1980 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वश्री .....के नाम में येन धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपत्र की प्रति आयातक के बैंक, ओ ई सी एफ भारतीय दूतावास, टोकियो और हमें पृष्ठांकित की जाए ।

साख पत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान आपकी निधि से किया जाएगा । भुगतान के साथ ओ ई सी एफ को आवश्यक दस्तावेज भेजकर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करना चाहिए ।

संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से ओ ई सी एफ द्वारा आपको उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि तक के बीच के समय के लिए आपको चुकाए जाने योग्य ब्याज प्रभार भारत सरकार के लेखे पर प्रभाव डाले बिना सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से भारत में संबंद्ध आयातक के बैंक के साथ आपके द्वारा निर्णीत किए जाएंगे । बैंकों के अन्य खर्चे जिसमें साखपत्र खोलने, रख-रखाव करने और साखपत्रों को जारी करने और सौदा संबंधी दस्तावेजों के संचालन से संबंधित और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरकों के बैंकरों के खर्चे भी विदेशी संभरक/आयातक को ही देने पड़ेंगे । इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा ओ ई सी एफ से नहीं किया जा सकता । जैसे ही आप कोई भुगतान करें और आपको उसकी अदायगी का तार उसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय को भेज दीजिए ।

जैसे ही आपके द्वारा कोई भुगतान किया जाता है और उसकी प्रतिपूर्ति आपको कर दी जाती है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय को भी दे दी जानी चाहिए ।

यह प्राधिकार पत्र समुद्रपार संभरकों के नाम में साख-पत्र खोलने के लिए है इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के मद्दे खोले गए आगे के नए साख पत्र या साख पत्र में बाद के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जाएगा।

यह प्राधिकार पत्र .... तक वैध रहेगा।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :-

1 आयातक .... को उनके पत्र सं० .... दिनांक .... के संदर्भ में।

उनसे अनुरोध है कि वे बैंकरों से विनिमय दस्तावेजों की डिलीवरी लेने से पूर्व निर्धारित दर पर और तरीके से अपने बैंकरों के माध्यम से रुपया निक्षेप आदि जमा कराने का प्रबंध करें। अपवाद परिस्थितियों के रूप में यदि माल की डीलीवरी सीधे ही सीमा शुल्क और पत्तन प्राधिकारियों से मूल पोतलदान दस्तावेज भेजे बिना ही प्राप्त कर ली जाती है, तो डिलीवरी लेने के पूर्व ही निक्षेप किए जाने चाहिए। विदेशी राष्ट्रीयता वालों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में जैसे ही सम्बद्ध बीजक भुगतान द्वारा अनुमोदित हो जाए, निक्षेप कर दिए जाएं/निक्षेप जल्दी ही और ठीक से न करने पर लाइसेंस की शर्तों में उल्लिखित आवश्यक कार्रवाई की जाए।

2. आयातक के बैंकर ....। उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरक को येन भुगतान के बराबर रुपये जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं. 8-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। संभरक को भुगतान करने की तिथि/बैंक आफ इंडिया की अदायगी की तिथि और जिस तिथि को सरकारी लेखे में तुल्य रुपया जमा किया जाए इनके बीच की अवधि के लिए प्रथम 30 दिनों के लिए 12%सालाना की दर से और 30 दिनों से अधिक के लिए 18%सालाना की दर से ब्याज का हिसाब लगाकर वह भी भारत सरकार के लेखे में सार्वजनिक सूचना सं. 31-आईटीसी (पी एन)/83, दिनांक 10-8-83 के अनुसार जमा कराना होगा। ब्याज दोनों दिनों अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाए और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाए, के लिए चढ़ाया जाएगा। (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया जाएगा तो उसकी सूचना दे दी जाएगी)। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशियां या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी में चालान के दाहिनी ओर कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए जमा करनी चाहिए। इस संबंध में उनका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 184-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 30-8-68, 233-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-68, 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71, सं. 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 एवं सं. 103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 में दिए गए प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है। वह लेखा शीर्ष जिसमें रुपया जमा कराना है वह "के डिपाजिट्स एंड एडवांसिज 843 सिविल डिपाजिट्स—डिपाजिट्स फार परचेजिज एटसेट्रा अब्राड अंडर परचेजिज अंडर क्रेडिट/लोन एग्रीमेंट्स"—लोन फ्रोम दि गवर्नमेंट आफ जापान 20 बिलियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं. आईडीपी 30 फार 1984-85 है।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं. 132 आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उनके चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),
पहली मंजिल, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001

जिन मामलों में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना सं. दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में, जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

संभरक को भुगतान करने की तिथि और ओ ई सी एफ द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को उसकी अदायगी की तिथि के बीच की अवधि के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय ब्याज प्रभार आपके द्वारा सामान्य बैंक सूत्रों के माध्यम से भारत सरकार के लेखे पर प्रभाव डाले बिना बैंक आफ इंडिया, टोकियो के साथ निर्णीत किए जाएंगे।

3. निदेशक, ऋण विभाग 2 समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि, टाकोबाशी, गोडो बिल्डिंग, 4-1 ओहाटमेची 1 कोमे चियोडा-कू टोकियो 100 जापान।

4 भारतीय दूतावास, टोकियो।

5. अवर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

(लेखा अधिकारी)

अनुबंध-4

अपरिवर्तनीय साख पत्र (ओईसीएफएलसी-1 प्रपत्र)

(माल के लिए लागू)

दिनांक :

सेवा में,

प्रिय महोदय ········	यह साख पत्र (ऋणी) और
———————	विदेशी आर्थिक सहयोग
(संभरक का नाम और पता)	निधि के बीच हुए ऋण करार सं··········· दिनांक······के अनुसरण में जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए बीजक के पूरे मूल्य के लिए दर्शनी हुंडी द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं········ ····················खोल दिया है जो ·········· येन (·······················येन कह सकते हैं) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है। इसे निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजा जाना है :—

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक

क्लीन आन बोर्ड, समद्री पोत लदान बिल जिनमें किए गए आदेशों का पूरा सैट हो बैंक पृष्ठांकित एवं चिह्नित "फ्रेट" एवं "नोटिफाइ"

अन्य दस्तावेज जिसमें············से··········· तक लदान का सत्यापन किया गया हो [संविदा सं·····(यदि कोई हो)] के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण आंशिक पोतलदान स्वीकृत है। वाहनांतरण स्वीकृत है।

पोतलदान बिल जो·········से बाद की तिथि का नहीं होना चाहिए। आदेशिती को·········19 तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

इस क्रेडिट के अंतर्गत सभी ड्राफ्ट और दस्तावजों पर यह अंकन होना चाहिए। "अपरिवर्तनीय साख पत्र सं······ दिनांक··19 के अंतर्गत निकलवाया गया और आयात संदर्भ सं. (संख्याएं) यदि कोई हो, यह क्रेडिट हस्तांतरणीय नहीं है"।

हम एतद्द्वारा वचन देते है कि इस क्रेडिट के अंतर्गत और इसकी शर्तों का अनुपाल करके निकलवाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशिती को दस्तावजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए कि क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार डाकुमेंट्स क्रेडिटस (1974 रिवोजन) इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स, पब्लिकेशन सं. 290" के अधीन है।

सौदा करने वाले बैंक के लिए विशेष अनुदेश

उपर्युक्त ऋण करार के अंतर्गत जारी किए गए वचन पत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वचन देते हैं कि हम सौदा करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हुंडी की धनराशि को लौटा देंगे।

2. सौदा करने वाले बैंक को यह बताते हुए हम ड्राफ्ट और दस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रमाण पत्र अवश्य भजेंगे कि शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा ····················को भेज दिए गए है।

3. इस क्रेडिट के अतर्गत सभी बैंक खर्चे आयातक/संभरक के लेख के लिए हैं।

भवदीय,

(··············)

वाणिज्यिक बैंक

द्वारा·················

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान शर्तें

यह भुगतान हमारी साखपत्र सं············ ··················का अभिन्न अंग है।

1. प्रारंभिक भुगतान

धनराशि··············येन जो कि कुल संविदा मूल्य के··········प्रतिशत है।

अपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

2. मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हो)

धनराशि·················येन जो कि कुल संविदा मूल्य का············· प्रतिशत है।

अपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

3. पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे भुगतान

धनराशि··············येन जो संविदा के कुल मूल्य का············· प्रतिशत है।

टिप्पणी : पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे पूर्ण भुगतान के मामले में इस संलग्न दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।

अनुबंध-5

(ओ ई सी एफ – एल सी–2 प्रपत्र)

अपरिवर्तनीय साखपत्र

(सेवाओ के लिये लागू)

दिनाक

सेवा मे

यह साख पत्र ऋणी और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए ऋण करार स
(सभरक का नाम व पता) दिनाक के अनुसरण मे जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करते है कि हमारे नाम मे निकालने के लिए पूर्ण ब्यौरे मूल्य के लिये लाभकारी ड्राफट एट साइट द्वारा उपलब्ध रकम या रकमो के लिये आपके नाम मे हमने अपरिवर्तनीय साख पत्र स .... खोल दिया है जो येन (येन पहले) की कुल धनराशि से अधिक नही है।

इसमे सलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (सविदा और परियोजना) से सबधित दस्तावेजो को नत्थी करना है सौदा तय करने के लिये ड्राफट से पहले प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

सभी ड्राफ्ट और दस्तावेज अपरिवर्तनीय साखपत्र स दिनाक के अतर्गत भुना लिये गये हैं, से चिन्हित होने चाहिये।

यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नही है

हम एतद्द्वारा वचन देते है कि इस क्रेडिट के अतर्गत इसकी शर्तों का अनुपालन करके भुनाये गये सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशितो को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत स्वीकार किये जायेंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तार पूर्वक न बताया जाये, यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एड प्रेक्टिस फार डाकूमेंटरी क्रेडिट्स (1974 रिवीजन) इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स न 290" के अधीन है।

सौदा करने वाले बैंक को विशेष अनुदेश

1 इसमें सलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी और इसके मनोनीत अधिकारी) द्वारा जारी किये गये निष्पादन के मूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात् इस क्रेडिट के अंतर्गत भुगतान इसमे सलग्न शीट मे निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिये। प्रारम्भिक भुगतान के मामले मे उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बजाये लाभकारी विवरण की आवश्यकता है।

2 ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किये गये वचनबद्धता पत्र के उपबन्धो के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतानों के लिये प्रतिपूर्ति प्राप्त कर के बाद हम ड्राफटों की धनराशि का मोल–तोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किये गये अनुदेशो के अनुसार परेषित करनें का वचन देते है।

3 उपर्युक्त मद 1 मे यथा उल्लिखित दस्तावेज की एक प्रति और मसौदे हमे उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे जायेंगे।

4 इस साख के अतर्गत बैंक के सभी खर्चे सभरकों के लेखे के लिये है।

भवदीय,

(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साख पत्र स का एक अभिन्न अग है।

1 प्रारम्भिक भुगतान
धनराशि येन
कुल सविदा मूल्य का प्रतिशत है।
अपेक्षित दस्तावेज लाभकारी विवरण की अतिम भुगतान तिथि

2 भुगतान वृद्धि
सम्पूर्ण योग की धनराशि येन
कुल संविदा मूल्य का ..... प्रतिशत
निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है –

देय धनराशि	अतिम भुगतान तिथि
येन	...
पहली किस्त येन	.
दूसरी किस्त येन	.
	.

अपेक्षित दस्तावेज (ऋणी अथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसको एक प्रपत्र संलग्न है।

निष्पादन का विवरण

दिनांक

संदर्भ

सेवा में,

.....

.....

.....

(संगरक का नाम और पता)

संदर्भ :- ऋण करार सं ..... के अंतर्गत ..... परियोजना से संबंधित ..... के लिए ..... येन के लिये ..... द्वारा जारी किये गये साखपत्र को सं. ..... दिनांक ..... । मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रतिनिधि (ऋणी) एतद्द्वारा ..... और ..... के बीच समझौता सं. ..... दिनांक ..... में निहित भुगतान की शर्तों के अनुसार समुद्रपार आर्थिक सहायता निधि द्वारा ..... की धनराशि (..... येन केवल) प्राप्त करने के लिये एक निष्पादन विवरण जारी करता हूं।

(.....)

ऋणी

द्वारा .....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विशेष अनुदेश :-

वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में दर्शाया जायेगा।

PUBLIC NOTICE NO. 28-ITC(PN)/85-88

New Delhi, the 13th August, 1985

Subject : Licensing conditions in respect of imports of goods and services under the Yen credit of Yen 20.0 Billion for the implementation of the Gas Pipeline project of the Gas Authority of India Ltd. (GAIL) extended by the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan.

File No. IPC/23(19)/84-85.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under the 20.0 Billion Yen Credit extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Gas Pipeline Project of the Gas Authority of India Ltd. (GAIL) as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 28-ITC(PN)/85-88 DATED THE 13TH AUGUST, 1985

Licensing conditions in respect of imports of goods and services under the Yen credit of Yen 20.0 Billion for the implementation of the Gas Pipeline Project of the Gas Authority of India Ltd. (GAIL) extended by the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan

Section I—General conditions

1 (i) The Yen credit of Yen 20.0 billion extended by the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan for financing the import requirements of the Gas Pipeline Project of the Gas Authority of India Ltd. (GAIL) is untied in favour of Japan and all the developing countries including India. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be procured from Japan and all countries (including India) enumerated in the list at Annexure I which will be eligible source countries under the credit.

I (ii) Import Licence(s) under the credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD/CG Committee. The value of the import licence(s) issued under this credit should not exceed Yen 22.0 billion (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the Exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P. 30". The first and second suffix to the licence code will be "S/JC". This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to GAIL, a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (iii) Import licence(s) can be issued only in favour of GAIL on CIF basis.

I (iv) Depending upon the convenience of GAIL more than one import licence may be issued under this credit, but the total value must not exceed Yen 22.0 billion (CIF) as specified at (ii) above.

I (v) Licences will be issued with initial validity period of 24 months. The extension of the validity of the import licence, may on application by GAIL be extended for a further period of 12 months. Requests for further extension/issue of a fresh import licence, if any, should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (vi) Imports to be financed under the credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I (vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agents' Commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I (viii) Firm order must be placed on FOB|C&F basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian licencee on the overseas supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas suppliers. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and|or orders confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in Para I (viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licencee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licencee. Only on production by the licencee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will be authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of the letter of credit, acceptance of deposits of the rupee equivalent etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I (x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

" ..... Months after the receipt of Letter of Credit but to be completed latest by the end ...."

In fixing the terminal date of shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-1988.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II (i) The FOB|C&F value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should be exclude Indian Agents' commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the suppliers' order confirmation should be in English only.

II (ii) The procurement of all goods and services to be financed under the OECF Yen Credit for Gas Pipeline Project shall be made in accordance with the Guidelines of Procurement under the loan (ID-P. 30).

(a) The GAIL shall procure goods and services to be financed out of the proceeds of the loan through Formal Open International Tendering. GAIL shall obtain prior approval of OECF if it wishes to adopt procurement procedures other than Formal /Open International Tendering submitting an application for approval of OECF through the Department of Economic Affairs.

(b) Prior to issuing a notice of award to the successful bidder GAIL shall submit to OECF for its approval the analysis of bids and the proposal for award of contract. At the same time GAIL shall submit to OECF all notices, instructions to bidders, the bid form, the proposed contract specifications, drawings, and all other documents relevant to the bidding.

(c) The above documents shall be submitted by GAIL to OECF through the Department of Economic Affairs (in duplicate).

(d) The bidding documents shall state which are the eligible source countries.

(e) In the evaluation of bids, any bidder shall not be granted a margin of preference.

II (iii) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen credit (Project Aid) No. ID-P. 30 for 1984-85 the details of which are given in Section VI below.

II (iv) Eligiblity of Suppliers

The suppliers shall be nationals of the eligible source countries, or juridical persons incorporated and registered in eligible source countries and controlled by the nationals of the eligible source countries.

II (v) Permissible imports from non-eligible source countries

Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty per cent (30 per cent) of the

price per unit of such products in accordance with the following formulae :

$$\frac{\text{Imported CIF Price + Import Duty}}{\text{Suppliers' FOB Price}} \times 100$$

(In case of Indian Supplier, Ex-Factory Price shall be adopted)

II (vi) Declaration in Contract

The following declaration as to the eligibility of the goods and supplier signed and dated by the supplier shall be added to each contract.

"I, the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in————————(name of eligible source country)."

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty per cent (30 per cent) in accordance with the following formulae.

$$\frac{\text{Imported CIF Price+Import Duty}}{\text{Suppliers' FOB Price}} \times 100$$

(Where applicable Ex-factory Price)

"I, the undersigned, hereby certify that———— (name of company) has been incorporated and registered in————————(Name of eligible source country), and is controlled by the nationals of the eligible source countries."

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contract.

III (i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

(a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 26th December, 1984 concerning the Yen credit No. ID-P. 30 (Project Aid) for Gas Pipeline Project of the GAIL and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan.

(b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable Letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo under the Loan Agreement No. ID-P. 30 dated 26th December, 1984 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

(c) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under Yen credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.

(d) Certificates [triplicate in the forms indicated in II(vi)].

(e) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian importer requires it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract approval by OECF.

IV (i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licencee should forward 4 copies of the contract duly signed by both GAIL and overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

IV (ii) The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV (iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen Credit No. ID-P.30 (Project Aid) for Gas Pipeline Project of the GAIL.

Section V—Payment to the overseas suppliers—Letter of Credit Procedure.

V (i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, GAIL and the CAA&A will be informed of the same. Whereafter GAIL should approach the controller of Aid Accounts and Audit (hereinafter referred to as CAA and A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure II for issue of letter of authorisation. The CAA&A will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure III addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening of an irrecovable Letter of Credit as in the form attached as Annexure IV (for imports) or Annexure V (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V(ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo will establish an irrecovable letter of credit as per Annexure IV (applicable to imports) or V (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of

India, Tokyo the importer's bank in India and the CAA&A.

The above procedure of opening of letter of credit on the basis of the letter of authority from CAA&A would ipso facto apply to all such amendments to letter of authorisation letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V (iii) The overseas supplier shall, after a effecting shipment of goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas suppliers through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V(iv) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for opening the letter of credit, for negotiation thereunder and charges if any of the overseas supliers' bankers are to be borne by the importer|overseas suppliers. Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the period counting from the date of payment of the cost of imports by them to the overseas suppliers to the date of reimbursement by the OECF, shall be settled by the concerned importers bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channels without affecting the Government of India's account.

V (v) Reimbursement Procedure -

Procedure for disbursement of the proceeds of the loan for the purchase of goods and services from Indian suppliers shall be in accordance with Reimbursement Procedure of the loan agreemnt (ID-P.30).

The exchange rate of Indian Rupee per Japanese Yen shall be ruling on the date of bid opening as specified in Section 4.07 of the Guidelines. Alongwith the Request for Reimbursement, the Borrower shall also furnish a certificate from a recognized bank certifying the Yen-Rupee exchange rate on the day of bid opening.

Section VI—Responsibility for rupee deposit

VI (i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of importer as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the rupee deposits are invariably made at RBI, New Delhi or SBI, Tis Tazari, Delhi before releasing the shipping documents. Interest charges on the rupee equivalents of the Yen payments calculated @ 12 per cent per annum for the first 30 days and @ 18 per cent per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the overseas supplier to the date of actual rupee deposit, have also to be deposited alongwith the principal payment, in terms of public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dated 10-8-83. It should be noted that interest is chargeable for both the days i.e. the day on which payment is made to the overseas supplier and also the day on which rupee deposit is made in Government Account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)|74 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notice No. 109-ITC(PN)|74 dated 3-8-1974 and No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulates of the Reserve Bank of India.

Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited into the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities under exceptional circumstances. In case the importer fails to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further LAS to him may be stopped and the matter reported to the CCI&E so that no further import licence is issued to such an importer. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is 'K-Deposits and Advances-843-Civil Deposts—Deposits for purchase etc. abroad Purchase under credits|Loan Agreements"—Loans from the Government of Japan 20 Billion Yen Credit No. ID-P 30 for the Gas Pipeline Project.

VI (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the challan or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)|68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976.

VI (iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs). While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importer|their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column 'full particulars of remittances and authority (if any)' of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :—

(a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.

(b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the overseas supplies.

Thereafter the Treasury Chalans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note: Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange controls copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VIII—Miscellaneous provisions

VIII (i) Reports on the utilisation of the import licence

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VIII (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The licence should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the supliers in carrying out the transaction.

VIII (iii) Disputes

It should be understand that the Government of India will not undertake any responsiblity for disputes if any, that may arise between the licencees and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-III under "Terms of Payment" Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VIII (iv) Future Instructions

The licencee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P 30 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VIII (v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VIII (vi) List of Annexures

Annexure-I List of eligible source countries.

Annexure-II Request for issue of Letter of Authority.

Annexure-III Form of Letter of Authority.

Annexure-IV Form of Letter of Credit (Applicable to imports).

Annexure-V Form of Letter of Credit (Applcable to Services).

ANNEXURE I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. Developing Countries and Territories.

(a1) Non-OPEC Developing Countries.

I. AFRICA, North of Sahara.

Egypt

Morocco

Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara

Angola
Botswana
Burundi
Camereon
Cape Verde Islands
Central African Rep
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of
Dahomay
Equatorial Guinea (1)
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Mali
Malawi
Mauritania, Mauritius
Moozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and dep. (2)
Sao Tomo and Principe.
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro. Afars and Issas
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernardo Po.

(2) Including the following islands: Ascension, Tristan da Inaceessibles, Nightingale, Gough.

III. AMERICA North and Central.

Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherland AnTilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre and Miquelon
Trinidad and Tobago
West Indies (Br.) n.i.e.
(a) Associated States (1)
(b) Dependencies (2)

IV. AMERICA, South

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. ASIA, Middle East

Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R. (4)

VI. ASIA, South

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
India
Baldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA, Far East

Brunei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of
Laos
Macao
Malaysia
Phillippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Viet-Nam, Rep. of
Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. OCEANIA

Coek Islands
Fiji
Gilbert and Ellice Is.
French Polynesia (5)
Nauru
New Calendornia
New Hebrices (Br. and Fr.)
Niue
Pacific Islands (US) (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tonga
Wallis and Futuna
Western Samoa

IX. Europe

Cyprus
Gibraltar
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

(1) Main islands: Antigue, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristophe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent

(2) Main islands: Monteserrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.

(3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.

(4) Including Aden and various sultanates and emirates.

(5) Comprising the Society Islands (including Tahiti) The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islards.

(6) Trust Territory of the Pacific Islands: Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

(a2) Member or Association Countries of OPEC

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

ANNEXURE—II

REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY

No. Date

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
U.C.O. Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Sub : Import of from Japan under the Yen Credit No. ID-P. 30 (Project Aid for 1984-85.).

Sir,

In connection with the import of————from ————under the above mentioned Yen Credit No. ID-P. 30 (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the ————(name of the Bank) which should be the same as given in (p) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

(a) Name and Address of the Indian importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) origin of the goods.

(f) percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.

(g) gross FOB of C&F value of contract (in Yen), if any.

(h) amount of Indian agents commission (in Yen), if any.

(i) net FOB or C&F value (in Yen) for which the Letter of Authority is required.

(j) number and date of the contract with overseas suppliers.

(k) name and address of the overseas supplier;

(l) payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(m) expected date of completion of deliveries.

(n) documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(o) Shipment instructions (indicate if transhipment|part shipment permitted or not permitted).

(p) Name and address of the importer's bank in India.

(q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the O.E.C.F.

(r) Whether the banking charges of the Bank of India, Tokyo for opening, maintenance and operation of the Letter of Credit will be borne by the importer|supplier.

(s) Undertaking by the importer :—

"We hereby undertake to make full and correct deposit of the rupee equivalent etc., of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by Government. The deposits will be made promptly before taking delivery of each consignment of the goods (materially importers). In case of payments for services of foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant invoices of the foreign suppliers are approved by us and the payments made to the suppliers".

Yours faithfully,

ANNEXURE—III

(Letter of Authority Form)

No. F.

Government of India,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs
New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan)

Subject : Import under Yen Credit (Project Aid) Loan Agreement No. ID-P. 30 Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-1980 entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen————————favouring M|s.———— as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank OECF, Embassy in India, Tokyo and to us.

Payment to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

Interest charges payable to you, for the time lag between the dates of [illegible] to the supplier and the date of [illegible] to you by the OECF, shall be settled by you with the concerned Importers bank in India through normal banking channels without affecting the Government of India's account. The other banking charges including those on account of opening, maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the importer overseas suppliers. No reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L|C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L|C or further fresh L|Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto

——————————

Yours faithfully,

Accounts Officer

Copy forwarded to :—

1. Importer—————with reference to their letter No.————dated————.

They are requested to arrange to deposit through their Bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner, before taking delivery of the negotiable documents from the Bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and Port authorities without furnishing the original shipping documents, the deposits should be made before taking the delivery. In the case of payments for services rendered by foreign nationals, the deposits should be made as soon as the relevant invoices are approved for payment. Failure to make the deposits promptly and correctly may entail action as mentioned in the Licensing Conditions.

2. Importer's Banker————. They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 12% per annum for the first thirty days and at the rate of 18% per annum for period in excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier,|date of reimbursements to Bank of India and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account is also required to be deposited into the Government of India Account in terms of Public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dated 10-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas Suppliers and also the date on which rupee deposit is made into Government Account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It would be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the challan or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)|68 dt. 30-8-68, 233-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968, 132-ITC-(PN)|71 dt. 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. The head of account to be credited is "K-Deposits & Advances—843—Civil Deposits—Deposit for purchases etc. abroad under Purchases under Credit|Loan Agreements".—Loans from the Government of Japan 20 billions Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 30 for 1984-85.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit. Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the time lag between the dates of payment to the supplier and the date of its reimbursement to the Bank of India, Tokyo by the OECF shall be settled directly by you with the Bank of India, Tokyo through normal banking channels without affecting the Government of India's account.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building, 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100. Japan.

4. Embasy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

ANNEXURE-IV

Form OECF-LC I

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for goods)

To———

———————————

(Name and address of the Suppliers)

Date :

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No.———— dated—— between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.————in you favour for account of ——for a sum of sums not exceeding an aggregate amount of———————— —(Say yen) available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents :

Signed commercial invoice in Full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and plan endorsed and marked "Freight and Notify" other documents.

evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped refering to Contract No.———— (if any) from to
Partial shipments are permitted.
Transhipment is permitted.
Bills of lading must be dated not later than Drafts must be presented for negotiation not later than.

All drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under irrevocable credit No. dated and Import Reference No. (s). (if any)

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating banks :

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.
2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to————.
3. All banking charges under this credit are for the account of importer|suppliers.

Yours faithfully,

.....

(a commercial bank)

By.————————

(authorized Signature)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No.———— .

I. Intitial Payment

Amount Yen———— ...

being %of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

II. Intermediate Payment (if any)

Amount Yen————

being———— % of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

III. Payment against Shipping Documents

Amount Yen————

being———————— % of the total contract price.

Note : This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

ANNEXURE-V

Form OECF-LC II

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for Services)

Date :

To

———————————

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. ——— dated

(Name and address of the Supplier) between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.——— in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Yen——— (Say Yen) available by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No. with regard to Project) ; Drafts must be presented for negotiation not later than.

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No.——— dated ———".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and practice for Documentary Credits (1977 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto, payment (s) under this credit must be made in accordance with the payment schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's Statement is required instead of the above-mentioned Statement of performance.

2. After obtaining the reimbursement for our payment from the OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.

3. A copy of the document as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.

4. All banking charges under this credit are for the account of the imports suppliers.

Yours faithfully,

———————————

(a commercial bank)

By. ———————————

(Authorized Signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No.——— ———.

1. Initial Payment

Amount Yen———————.

being ——————— percent of the total contract price Required documents : beneficiary's Statement

Latest Presentation date :

II. Progress Payment

Aggregate amount : Yen———————

being——————per cent of the total contract price to be paid as follows :

Amount due- ———

Latest presentation date———

———

1st Instalment : Yen———

Yen———

....

....

Required document : a copy of State of performance issued by (Borrower or its designated authority), ——————— ——————

a form of which is attached hereto.

Statement of Performance
Date :
Ref No.

To

——————— ————

——————— ————

(Name and address of the Supplier)

Re : Letter of Credit No.————, dated issued by———————— for Yen——————— in favour of ————concerning————Project under Loan Agreement No. ————————

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issue a Statement of Performance to entitle———— to receive the sum of Yen———————(Yen only) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No. ————————, dated——————— , between——————— and————————.

————————

(Borrower)

By : ————————

(Authorized Signature)

Special Instructions :

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.

सार्वजनिक सूचना सं. 29–आईटीसी (पीएन)/85-88

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1985

विषय :—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1984-85 के लिए 500 मिलियन येन जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों तथा उपस्कर लगाने/भारत में पत्तनों पर उपस्करों के परिवहन के लिए और उनके आन्तरिक परिवहन के लिए आवश्यक सेवाओं हेतु चिकित्सा संबंधी उपकरणों के क्रय के लिए लाइसेंसिंग शर्तें।

फाइल सं. आईपीसी/23(20)/84-85 —स्वास्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1984-85 के लिए 500 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अधीन आयातों को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में यथानिर्दिष्ट जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

राजीव लोचन मिश्रा, मुख्यनियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं 29-आईटीसी (पी एन)/85-88 दिनांक 13-8-1985 के लिए परिशिष्ट

स्वास्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1984-85 के लिए 500 मिलियन येन जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत भारत में उपस्कर लगाने/पत्तनों पर उपस्करों के परिवहन के लिए आवश्यक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के लिए चिकित्सा उपस्कर और सेवाओं का खरीद और उनके आन्तरिक परिवहन के लिए लाइसेंसिंग शर्तें :

खण्ड 1, सामान्य शर्तें :

1(1) 1984-85 के लिए 500 मिलियन येन जापानी अनुदान सहायता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में पत्तनों पर चिकित्सा उपस्कर और सेवाओं के लिए आवश्यक परिवहन के लिए और उनके आन्तरिक परिवहन की खरीद के लिए जापानी सम्भरकों को वित्त पोषित करने के उद्देश्यार्थ प्रयोग में लाया जाएगा।

1(2) आयातक के नाम में आयात लाइसेंस कुल मिलाकर 550 मिलियन येन (लागत बीमा भाड़ा) मूल्य से अधिक के लिए जारी नहीं किए जाने चाहिएं और उन पर एक शीर्षक "1984-85 के लिए 500 मिलियन येन जापानी अनुदान सहायता" होना चाहिए। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस संकेत "एस/जे एन" होगा।

1(3) इस अनुदान सहायता के अधीन उपकरण तथा सेवाएं केवल जापान/भारत से प्राप्त किए जाने चाहिएं। क्रय आदेश केवल जापानी संभरकों के लिए ही किए जाने चाहिएं।

1(4) आयात लाइसेंस 21-2-1986 तक की अवधि के साथ लागत बीमा भाड़ा के आधार पर जारी किया जाएगा।

1(5) संविदा में नकद आधार पर अर्थात् बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। उसमे सुपुर्दगी की अवधि के लिए भी इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए।

"सुपुर्दगी 21-2-1986 तक पूर्ण की जानी है"

1(6) संविदा का मूल्य (केवल लागत तथा भाड़ा/जहाज पर निःशुल्क मूल्य के आधार पर) येन में दर्शाया जाना चाहिए। (येन के भिन्न को हटाया जाना चाहिए) और यदि कोई हो तो भारतीय अभिकर्ता का कमीशन शामिल नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रुपये या अन्य किसी मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए।

जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत बीमा भाड़ा और भाड़ा धनराशि अलग-अलग प्रदर्शित की जा सकती है, परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्चा वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किए गए भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय धनराशि होगी।

1. (7) क्रय संविदा जापानी येन में केवल जापानी राष्ट्रिकों के साथ की जानी चाहिए।

1. (8) इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत माल और सेवाओं की प्राप्ति जापानी संभरकों के लिए सीमित खुली निविदा के आधार पर की जानी चाहिए और ठेका न्यूनतम मूल्य निर्धारित और तकनीकी रूप से स्वीकार्य बोली कार को दिया जाना चाहिए। यदि किसी मामले में सीधे बात-चीत के आधार पर इस अनुदान के अधीन माल और सेवाओं को प्राप्त करने की व्यवस्था की जाती है तो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) के माध्यम से जापान सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

खण्ड-2 संभरण ठेकों में निम्नलिखित शर्तें विशेष रूप से समविष्ट होनी चाहिए :—

2 (1) 1984-85 के लिए 500 मिलियन येन की अनुदान सहायता से संबद्ध इस संविदा की व्यवस्था 22 फरवरी, 1985 को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है और यह दोनों सरकारों के अनुमोदन के अधीन होगी।

2 (2) विदेशी संभरकों को भुगतान उस "भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र" (ए/पी) के माध्यम से किया जाएगा जो 1984-85 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन बैंक आफ इण्डिया, टोकियो के नाम में सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली 110001 द्वारा जारी किया जाएगा।

2 (3) जापानी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

2 (4) जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियों के परामर्श से पोतलदान की व्यवस्था करने को तैयार है और उसके लिए संबंधित माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम की भारतीय दूतावास, टोकियों को सूचना देगा और अपेक्षित पोत परिवहन के लिए छः सप्ताह पहले ही भारतीय दूतावास, टोकियों को अधिसूचित करवाएगा जिससे उचित व्यवस्था की जाए। विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक यह चाहता हो, अधिसूचना की अवधि कम की जा सकती है। आवश्यक ब्यौरे देते हुए प्रत्येक पोतलदान के बाद जापानी संभरक को आयातक को केवल सूचना भेजने के लिए भी सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियों को भेजी जानी चाहिए।

खण्ड-3 भारत सरकार और जापान द्वारा ठेके का अनुमोदन

3 (1) जैसे ही आदेशों को अंतिम रूप दे दिए जाते हैं आयातक को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की या जापानी संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश के साथ जापानी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की पांच प्रतियां या निविदा मध्य निर्धारण की 2 प्रतियों के साथ उनकी सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों और अनुबंध-1 के प्रपत्र में "ए/पी जारी करने के आवेदन" की 2 प्रतियां अवर सचिव (टीसी) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषय वस्तु या उसकी कीमत के आवश्यक आसोधनों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए भी लागू होगी।

3 (2) वित्त मंत्रालय (डीईए) जापान अनुभाग, 1984-85 के लिए 500 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अधीन वित्तदान देने के लिए संविदा की एक प्रति जापान सरकार को अनुमोदन के लिए भेजगा, और इसी के साथ-साथ उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों का एक-एक सैट लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के दूतावास, टोकियों को भी भेजा जाएगा।

3 (3) जापान सरकार से ठेका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लाक का जापान अनुभाग उसकी सूचना सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को देगा जो कि जापानी संभरक को भुगतान करने के लिए बैंक आफ इण्डिया टोकियों को अनुबंध 2 के अनुसार एक "भुगतान प्राधिकार पत्र" (ए/पी) जारी करेगा। प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्रतियां भारत का दूतावास टोकियों, आयातक, भारत में आयातक के बैंक और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के जापान अनुभाग को भेजी जाएगीं।

3 (4) भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक आफ इण्डिया, टोकियों जापान सरकार, भारत का राजदूतावास, टोकियों, भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक को अवगत कराएगा।

3 (5) पोतलदान करने के बाद जापानी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इण्डिया, टोकियों को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इण्डिया, टोकियों दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि जापानी संभरक को और बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा।

3 (6) जापानी संभरक को भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को देय बैंक खर्च आयात विभाग के नाम में भारतीय दूतावास, टोकियों द्वारा, अदा किया जाएगा। इन खर्चों के समतुल्य रूपया लेखा नियंत्रक

विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक, नई दिल्ली से उपर्युक्त बीजक प्राप्त होने पर आयात विभाग द्वारा अदा किया जाएगा।

खण्ड-4 रुपया जमा करने का उत्तरदायित्व

4 (1) मूल विनिमय पोतपरिवहन दस्तावेज साथ ही साथ बैंक आफ इण्डिया टोकियो द्वारा भारत में आयातक के संबद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जो अनुबंध 1 के (प) में उल्लिखित है, की शाखा होगी, दस्तावजों के ये विनिमय सेट केवल इस बात का सुनिश्चित कर लेने के बाद ही संबद्ध आयातक को देनी चाहिए। जापानी संभरक को अदा किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपया सार्वजनिक सूचना स 103-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-76 के अधीन यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना स. 74आई टी सी (पी / एन)/74 दिनांक 31.5.74 के अनुसार भारत सरकार के लेखे में जमा कर दिया है। भुगतानों की येन धनराशि के बराबर रुपए की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना स० 8 आई टी सी (पी/एन)/76 दिनांक 17-1-76 मे निर्धारित मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रक परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए। इस संबंध में कोई भी परिवर्तन जब भी आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व संबद्ध भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरों से दस्तावेज लेने से पहले ही देय धनराशि लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। यह सुनिश्चित करने की आयातक की जिम्मेदारी होगी कि देय धनराशि सरकारी लेखे में ठीक से जमा करवा दी गई है जब कि उन्होंने विशेष परिस्थितियों में सीमा शुल्क प्राधिकारियों से माल की सपुर्दगी प्राप्त की हो। उस मामले मे जब आयातक सरकार को देय धनराशि माल छुड़वाने से पूर्व जमा करवाने मे असमर्थ होता है तो उसे आगे ए/पी जारी करना रोक दिया जाएगा और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को तथ्यों से अवगत करवाया जाएगा जिससे ऐसे आयातक को आगे कोई आयात लाइसेंस न जारी किया जाए। केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आयातों के संबंध में कोई ब्याज नहीं लगेगा। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए वह "के-डिपोजिटस एण्ड एडवान्सिज–843 सिविल डिपोजिटस डिपोजिट फोर परचेजिस एण्टसट्रा एटब्राड परचेजिज अन्डर ग्रान्ट एण्ड फार दी गवर्नमेंट आफ जापान" फार 1981-85 ग्रान्ट फार परचेज आफ दी मेडिकल इक्विपमैंट एण्ड सर्विसिज नेनिमरी फार दि इन्सटालेशन/ट्रांसपोर्टेशन आफ इक्विपमेंट टू पोर्टस इण्डिया एण्ड दोज फार इन्टरनल ट्रांसपोर्टेशन देयरइन" होगा।

4 (2) चालान के दाएं कोने मे कोड नं. 5130000009 दर्शाते हुए उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली मे सरकार की साख में नकद जमा होनी चाहिए, या यदि यह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा या इसके उपसंगी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (हुण्डी कर्त्ता) से प्राप्त एक हुण्डी (डिमाण्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली-6 (हुण्डी ग्राहक) और (प्रापक) में सार्वजनिक सूचना सं. 184 आई टी सी (पी/एन)/68 दिनांक 30.8.1968, सं 233 आई टी सी (पी/एन)/68 दिनांक 24.10.68, सं. 132-आई टी सी (पी/एन)/71 दिनांक 5.10.71, सं. 74-आई टी सी (पी/एन)/74 दिनांक 31.5.74 और स. 103-आई टी सी (पी/एन)/76 दिनांक 12.10.76, में यथा निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए धन परेषण करना चाहिए।

4. (3) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर संबद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 103-आईटी सी (पी/एन)/76 दिनांक 12/10/76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं. 132 आई टी सी (पी/एन)/71 दिनांक 5.10.71 के पैरा 2 निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं. 74 आई टी सी (पी/एन)/74 दिनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे" में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :—

(क) वित्त मंत्रालय भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की सं. और दिनांक,

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं,

(ग) जापानी संभरक को भुगतान करने की तिथि,

(घ) चुकाए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए यह गिना गया है,

(ङ) जमा की गई कुल धनराशि ।

(ब्याज की गणना जापानी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखे में समतुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि तक के लिए की जाती है।)

उसके पश्चात सी ए ए द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों की प्रतियों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी ए ए एण्ड ए को भेजा जाना चाहिए ।

टिप्पणी —भारत में आयातक बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुपये का निक्षेप बैंक आफ इण्डिया टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी ए ए एण्ड ए वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा ।

4. (4) भारत में संबद्ध बैंक आफ इण्डिया को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धन-राशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया बंबई को भेजना चाहिए ।

खण्ड 5 विविध प्रावधान

5(1) अनुदान सहायता के उपयोग की रिपोर्ट

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद आयातक को पोतलदानों और उनके अधीन किए गए भुगतानों के संबंध में और जो पोतलदान होने बाकी हैं उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी ए ए एण्ड ए-आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय यू सी ओ बैंक बिल्डिंग संसद मार्ग नई दिल्ली को भेजनी चाहिए ।

आयातक को चाहिए कि वह इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत माल के आयात में संबंधित किसी ऐसी विशेष शर्त से संभरक को अवगत कराये जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डालती हो ।

5 (2) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि आयातक और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी । बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतानों में पूर्व संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें साफ-साफ "भुगतान के नियमों" में अनुबंध–1 में आयातक द्वारा दर्शायी जानी चाहिए । विवादों के निपटने की शर्तें ठेके की शर्तों में शामिल होनी चाहिए ।

5 (3) भविष्य अनुदेश

आयातों या उनके संबंध में उत्पन्न किसी मामले या सभी मामलों में संबंधित जापान से 1984-85 के लिए अनुदान सहायता के अधीन सभी आयातों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों या अनुदेशों या आदेशों का आयातक को तुरन्त पालन करना होगा ।

5 (4) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त शर्तों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी ।

5 (5) अनुबंधों की सूची

अनुबंध–1 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र ।

अनुबंध–2 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) का प्रपत्र ।

अनुबंध–1

"भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र"

संख्या दिनांक

सेवा में

सहायता लेखा तथा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली 110001

विषय:— 1984-85 के लिए येन 500 मिलियन की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से भारत में उपस्कर लगाने/पत्तनों पर उपस्कर के परिवहन के लिए आवश्यक चिकित्सा उपस्कर और सेवाओं और उनके आन्तरिक परिवहन की खरीद ।

महोदय,

उपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से उपर्युक्त उपस्कर के आयात के संबंध में हम आपको निम्न-लिखित ब्यौरा भेजते हैं जिससे कि आप संबद्ध जापानी संभरक के पक्ष में बैंक आफ इण्डिया टोकियो को भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी कर सकें :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता ।

(ख) आयात लाइसेंस की सं० दि. और मूल्य और वह तिथि जब तक यह वैध है ।

(ग) अधिप्राप्ति के तरीके क्या यह प्रत्यक्ष खरीद पर आधारित है या सीमित खुली निविदा पर आधारित है । इस मामले में कारणों सहित यह निर्दिष्ट करना है कि क्या संविदा का निर्णय उपर्युक्त तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है ।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण ।

(ङ) माल का उद्गम देश ।

(च) संविदा का कुल लागत और भाड़ा मूल्य (येन में)

(छ) यदि कोई हो तो, भारतीय रुपए में भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि (येन में) ।

(ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (यन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है ।

(झ) जापानी संभरकों के साथ की गई संविदा का नाम और दिनांक ।

(ञ) जापानी संभरक का नाम और पता।

(ट) वे भुगतान और संभावित विधि जिनको संविदाओं के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे ।

(ठ) माल की सुपुर्दगी पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथियां।

(ड) बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दर्शाते हुए)

(ढ) पोतलदान अनुदेश (अनुमेय या गैर अनुमेय वाहनान्तरण/आंशिक पोतलदान) निर्दिष्ट कीजिए ।

(ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता ।

(त) आयातक द्वारा वचनबद्धता :—"हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि हम विदेशी संभरक को देय धनराशि के समतुल्य रुपए की पूर्ण धनराशि को सरकार द्वारा निर्धारित क्रियाविधि से और प्रचलित दर पर सही रूप से जमा करवा देंगे । माल (आयातित सामग्री) के प्रत्येक परेषण की सुपुर्दगी प्राप्त करने से पूर्ण राशि शीघ्र ही जमा करवा दी जाएगी । विदेशी राष्ट्रिकों की सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में, जैसे ही हमारे द्वारा विदेशी संभरक के संगत बीजक अनुमोदित किए जाते है और संभरक को भुगतान किया जाता है वैसे ही राशि जमा करवा दी जाएगी ।"

भवदीय

अनुबंध—2

संख्या 1 एफ

भारत सरकार

वित्तीय कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इण्डिया,
टोकियो शाखा
टोकियो (जापान)

विषय:— 1984-85 के लिए येन 500 मिलियन की जापान अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान भारत में उपस्कर लगाने भारत में पत्तनों के लिए उपस्कर के परिवहन के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अनुसंधान उपस्करों और सेवाओं का आयात-भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना ।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ .....को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा परिशिष्ट में दिए गए यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वश्री ..... को ..... येन धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पावती के बारे में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार, आयातक बैंक भारत के राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकन की जाए ।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा संकेतित लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा ।

4. आयातक द्वारा आपको दस्तावेजों, को सम्भालने के लिए खर्चे और यदि कोई हो तो विदेशी सम्भरकों बैंकरों के प्रभारों सहित अदा किए जाने वाले बैंकिंग प्रभार भारतीय दूतावास टोकियो द्वारा अदा किए जाएंगे ।

5. जैसे ही जापानी संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेज आदि के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए ।

6. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है ।

7. यह भुगतान प्राधिकार पत्र ·············· तक वैध रहेगा ।

भवदीय

(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक ············ को उनके पत्र सं. ················· दिनांक ············· के संदर्भ में । उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे बैंकरों से परक्राम्य दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पूर्व अपने बैंकरों के माध्यम से रुपए निक्षेप आदि को जमा करवाने की व्यवस्था करें । यदि विशेष परिस्थितियों की वजह से मूल परिवहन दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना सीमा शुल्क प्राधिकारियों और पत्तन के प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी सीधे ही प्राप्त करली हो, तो वहां सुपुर्दगी प्राप्त करने से पूर्व धनराशि जमा करवानी चाहिए। विदेशी संभरकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में, जैसे ही भुगतान के लिए बीजक अनुमोदित किए जाते हैं वैसे ही धनराशि जमा करवा देनी चाहिए । शीघ्र ही और सही रूप से धनराशि जमा करवाने में असमर्थ होने पर लाइसेंसिंग शर्तों में उल्लिखित कार्रवाई की जाएगी ।

2. आयातक का बैंक ······· उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इण्डिया, टोकियो, ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर जापानी संभरकों को येन भुगतान के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें । संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं. 8—आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 17—1—76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी । (यदि इस दर में जब भी कोई परिवर्तन होगा तो इसकी सूचना दी जाएगी) । इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सीमा शुल्क निकासी के लिए आयातक को दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा कराई जाती है।

चालान के दाएं कोने में कोड नं० 5130000009 दर्शाते हुए ये धनराशि या तो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली—6 (आदेशिती और आदाता) के नाम में और उसकी देय दर्शनी हुण्डी के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 233 आईटीसी (पीएन)/68 दिनांक 24-10-68, सं० 132—आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-71, सं० 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103—आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज-843 सिविल डिपाजिट-डिपोजिट फार परचेजिस एटसेट्रा एब्राड परचेजिस अन्डर ग्राण्ट एण्ड लोन फ्राम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार 1984-85 अन्डर डिटेल्ड हैड "500 मिलियन ग्रान्ड एड फार परचेज आफ दि मेडिकल इक्विपमेंट एण्ड सर्विसिस नेसेसरी फार इन्सटालेशन/ट्रांसपोर्टेशन आफ इक्विपमेंट ट्रू पोर्टस इन इण्डिया एंड दोज फार इन्टरनल ट्रांसपोर्टेशन देयरइन" है।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं० 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इण्डिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए प्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी:—

लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),

पहली मंजिल, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग,

संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001.

जिस मामले में तुल्य रुपया उपर संकलित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में ब्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई है और उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपये का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए ।

समुद्र पार संभरक के बैंकर के खातों सहित यदि कोई हो तो बैंकिंग खर्च और बैंक आफ इण्डिया, टोकियो ब्रान्च के अन्य खाते इंडियन बैंक और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो,

5. अवर सचिव (टी सी) शाखा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

(लेखा अधिकारी)

PUBLIC NOTICE NO. 29-ITC(PN)/85-88

New Delhi, the 13th August, 1985

Subject : Licensing conditions for purchase of Medical Equipment for Regional Cancer Centres and services necessary for installation/ transportation of the equipment to ports in India and those for internal transportation therein under Japanese Grant Aid for 1984-85 of Yen 500 Million by the Ministry of Health and F.W.

File No. IPC/23(20)/84-85.—The terms and conditions governing imports under the Japanese Grant Aid of Yen 500 Million for 1984-85 by the Ministry of Health and Family Welfare as given in Appendix to this Public Notice, are notified for information.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 29-ITC(PN)/85-88 dated the 13th August, 1985 Licensing conditions for purchase of Medical, Equipment for Regional Cancer Centres and services necessary of Installation/ Transportation of the Equipment to ports in India and those for Internal Transportation therein under Japanese grant aid for 1984-85 of Yen 500 million by the Ministry of Health & F.W.

Section I. General Conditions :

I (i) The Japanese Grant Aid for 1984-85 of Yen 500 million is intended to be used for financing payments to Japanese Suppliers for purchase of medical equipment and services necessary for the transportation thereof to ports in India and those for internal transportation therein by the Ministry of Health & F. W.

I. (ii) The import licence should be issued for an amount not exceeding Yen 550 Million (CIF) in favour of the importer, and should bear the superscription "Yen 500 million Japanese Grant Aid for 1984-85". The licence code for the first and second suffix will be "SJN".

I. (iii) The equipment and services should be procured only from Japan/India under this Grant Aid. The purchase order should be placed only on the Japanese suppliers.

I.(iv) The import licence will be issued on CIF basis with validity upto 21-2-1986.

I. (v) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo. It should also provide for the period of delivery as follows :

"Delivery to be completed by 5-2-1986".

I. (vi) The contract value (C&F) FOB basis should be expresesd in Yen (fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's Commission, if any. In no circumstances the contract value should be expressed in any other currency.

The FOB cost and freight amount should be shown separately but it should be clarified in the contract itself whether the freight will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated therein would be the amount payable irrespective of the actual charges.

I. (vii) The purchase contract should be entered into only in Japanese Yen with the Japanese nationals.

I. (viii) The procurement of goods and services under this grant aid should be done on the basis of an open tender confined to Japanese suppliers and the contract awarded to the lowest evaluated and technically acceptable bidder. In case it is proposed to procure the goods and services under this grant on direct negotiation basis prior approval of the Govt. of Japan may be obtained through the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

Section II. The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

II. (i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 22nd February, 1985 between the Government of India and Government of Japan concerning the Grant Aid of Yen 500 million for 1984-85 and will be subject to the approval of both the Governments.

II. (ii) Payments to the suppliers shall be made through an 'Authorization to Pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1984-85.

II. (iii) The Japanese suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

II. (iv) The Japanese supplier agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require it this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section III Contract Approval by Governments of India and Japan.

III. (i) As soon as the orders are finalised, the importer should forward to the Under Secetary (TC), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 5 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the Japanese supplier supported by order confirmation in writing by the Japanese supplier or their photo copies complete in all respects together with two copies of the tender evaluation report and two copies of the "Request for issue

of A|P in the form at Annex I. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

III (ii) The Ministry of Finance (DEA), Japan Section will arrange to send two copies of the contract to the Government of Japan for their approval for financing under the Japanese Grant Aid for 1984-85 of Yen 500 million, and one set of the documents mentioned in (i) above will also be sent to the CAA&A and the Embassy of India in Tokyo simultaneously.

III. (iii) On receipt of the contract approval from the Government of Japan, the Japan Section of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block will inform the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New-110001 of the same who will issue an 'Authorisation to Pay' (A|P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure II for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A|P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo the importer, importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

III. (iv) On receipt of the Authorisation to pay (A|P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the Japanese supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

III. (v) The Japanese supplier shall, after effecting shipment present through his bankers the documents specified in the A|P to the BOI, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the document to the Japanese supplier through his bankers.

III. (vi) Banking charges payable to the Bank of India Tokyo for arranging the payment to the Japanese supplier shall be paid by the Embassy of India, Tokyo on behalf of importing Department. Rupee equivalent of these charges will be paid by the importing Deptt. to the Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, New Delhi on receipt of suitable advice from the CAA&A, New Delhi.

Section IV. Responsibility for rupee deposit

IV. (i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (O) in Annexure I who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payments made to the Japanese supplier is deposited into Government of India account in terms of the public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-74 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange control circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited into the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities under exceptional circumstances. In case the importer fails to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further A|P to him may be stopped and the matter reported to the CCI&E so that no further import licence is issued to such an importer. No interest charges are recoverable in respect of imports made by Central Government Departments. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited as "K-Deposits and Advances-843 Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad-purchase under Grant.

Aid from the Government of Japan-for 1984-85"—Grant for purchase of the medical equipment and services necessary for the installation| transportation of equipment to ports in India and those for internal transportation therein.

IV. (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)|68 dated 30-8-68, No. 233-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968 and No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, No 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976.

IV. (iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the Importers|their bankers that the information perscribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 read with Public Notice 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

(a) Ministry of Finance 'A|P' (Authorisation to Pay) No. and date.

(b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of Payment to the Japanese supplier.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A|P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payment and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is informed immediately thereafter.

IV. (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite 'S' Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section V. Miscellaneous provisions

V. (i) Reports on the utilization of the Grant Aid

The importer should send a monthly report after the A|P has been issued regarding shipments and payment made thereagainst and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

The importer should apprise the supplier of any special provisions in the import of goods under this Grant Aid which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

V. (ii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the importer and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure I under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

V. (iii) Future Instructions

The importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the imports and for meeting all obligation under the Grant Aid for 1984-85 from Japan.

V (iv) Breach or violation

Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

V. (v) List of Annexures;

Annexure—I : —Request for issue of A|P.

Annexure— II :—Form of A|P.

ANNEXURE—I.

"REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY"

NO. :

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street, New Delhi-110001.

Subject : —Purchase of Medical equipment and services necessary for the installation|transportation of the equipment to ports in India and those for internal transportation therein from Japan under the Japanese Grant Aid of Yen 500 million for 1984-85.

Sir,

In connection with the import of above mentioned equipment from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A|P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Japanese supplier concerned.—

(a) Name and address of Indian Importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement whether it is based on direct purchase or limited open tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Gross C&F or FOB value of contract (in Yen).

(g) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees,

(h) Net C&F or FOB value (in Yen) for which the A|P is required.

(i) No. and date of the contract with Japanese Suppliers.

(j) Name and Address of the Japanese supplier.

(k) Payment terms & probable dates on which payments under the contract will fall due.

(l) Expected date of completion of deliveries.

(m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(n) Shipment instructions (indicate if transhipment|partshipment permitted or not permitted).

(o) Name and address of Importer's bank in India.

(p) Undertaking by the importer:—"We hereby undertake to make full and correct deposit of the rupee equivalent etc., of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by Government. The deposits will be made promptly before taking delivery of each consignment of the goods (material imported). In case of payments for services of foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant invoices of the foreign suppliers are approved by us and the payments made to the suppliers".

Yours faithfully,

ANNEXURE—II

No. F.

Government of India
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 1985

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan)

Subject : — Purchase of equipment and services necessary for the installation|transportation of the equipment to ports in India and those for internal transportation therein, from Japan under Japanese Grant Aid of Yen 500 million for 1984-85. Issue of Authorisation to pay.

Dear Sir,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated———— entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen————to M|s.———— as per details given in the appendix.

2. Please advise the Supplier of the fact of receipt of this Authorisation to Pay (A'P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A|P will be made on the basis of shipping documents as indicated in the Appendix.

4. Banking charges including, charges for handling documents and charges of Overseas Suppliers, Bankers if any payable to you by the importer, will be paid by the Embassy of India, Tokyo.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents presented by the Japanese supplier an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the Importer's bank.

6. NO amendment to this A|P may be advised in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. This A|P will remain valid upto————

Yours faithfully,

(————)
Accounts Officer

Copy forwarded to :—

1. Importer————with reference to their letter No.————dated ————.

They are requested to arrange to deposit through their Bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner, before taking delivery of the negotiable documents from the Bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and port authorities without furnishing the original shipping documents, the deposits should be made before taking the delivery. In the case of payments for services rendered by foreign Nationals, the deposits should be made as soon as the relevant invoices are approved for payment. Failure to make the deposits promptly and correctly may entail action as mentioned in the Licensing conditions.

2. Importer's Banker————. They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent to the Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the Public Notice No. 8- ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Any change in this rate will be intimated if and when made. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or in the SBI Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the SBI or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the SBI, Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC|-(PN)|74 dated 31-5-1974 and No.103-ITC(PN|76 dated 12-9-1976. The head of account to be credited is 'K-Deposits & Advances—843-CIVIL Deposits—Deposit for purchases etc. abroad purchases under Grant Aid from Government of Japan for 1984-85' under detailed head "500 mililon grant aid for purchase of the medical equipment and services necessary for installation|transportation of equipment to ports in India and those for internal transportation therein".

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed

in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-9-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

3. The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

Banking charges of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, would be paid by the Embassy of India, Tokyo, on behalf of the importing Deptt. Rupee equivalent of these charges will be calculated in the above manner and deposited in favour of controller or Accounts, Ministry of External Affairs, New Delhi for this purpose CAA&A will issue suitable advices to the Department.

4. Embassy of India, Tokyo.
5. The Under Secretary (TC), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

( )

Accounts Officer

सार्वजनिक सूचना सं० 30 आई टी०सी (पी एन)/85-88

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1985

विषय :-- 1983-84 के लिए जापान सरकार द्वारा प्रदत्त येन 1.773 बिलियन (येन 1,773,860,000 ऋण सहायता) की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के संबंध में लाइसेंस शर्तें।

मि० सं० आई पी सी/23(21)/84-85--1983-84 के लिए जापान सरकार द्वारा प्रदत्त येन 1.773 बिलियन (ऋण सहायता) की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत आयातों के संबंध में लाइसेंस के लिए लागू होने वाली जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, वे जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती है।

राजीव लोचन मिश्रा मुख्य नियंत्रक आयात, निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना स० 30-आई टी सी (पी एन)/85-88 दिनांक 13-8-1985 का परिशिष्ट

जापान की सरकार द्वारा प्रदान किए गए 1983-84 के लिये येन 1 773 बिलियन (येन 1,773,860,000) (ऋण सहायता) की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत **सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के संबंध में लाइसेंस शर्तें।**

खण्ड-1 सामान्य शर्तें

1(1) जापान को सरकार द्वारा प्रदान की गई येन 1 773 बिलियन जापानी अनुदान सहायता भारत के अलावा ओ ई सी. डी और विकासशील देशों के हल मे संगठित की गई है। तदनुसार इस ऋण के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली पण्य वस्तुएं और उनसे संबंधित प्रासंगिक सेवाएं जापान और अनुबंध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती हैं। वे देश इस अनुदान के अंतर्गत पात्र स्रोत देश होंगे। इस अनुदान सहायता के अधीन जो पात्र मदें आयात की जा सकती हैं उनकी सूची अनुबंध-2 में दी गई है।

1(2) लाइसेंस पर एक शीर्षक "1983-84 के लिए" येन 1.773 बिलियन जापानी अनुदान सहायता होगा प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस संकेत "एस/जे एन" होगा। ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात के लिए आयात लाइसेंस के अग्रेषित पत्र मे भी दुहराए जाएंगे।

1(3) बैंक खर्च जिनका प्रेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के किसी भी प्रेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान अभिकर्ता को भारतीय रुपये में चुकाना चाहिए। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे।

1(4) आयात लाइसेंस लागत बीमा भाड़ा के आधार पर 12 महीनों की प्रारंभिक वैध अवधि के साथ जारी किया जाएगा। लाइसेंस की वैधता मे वृद्धि के लिए लाइसेंसधारी को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए जो इस मामले मे आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से परामर्श करेगा।

1(5) पक्के आदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिएं और वे आयात (आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीने की अवधि के भीतर) अवर सचिव (टी सी) आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिएं। "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों का क्रय संविदाओं से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त आदेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् समर्थित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों। विदेशी संभरकों को भारतीय अभिकर्ताओं के आदेश और या भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

1(6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों को इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक की ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(5) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यदि वृद्धि इन लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसे वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे।

पोत-लदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-3-1986 के बाद की न हो।

खण्ड –2 संचरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें

2(1)(क) ठेके का लागत और भाड़ा मूल्य येन या य. एस. डालर या पौण्ड स्टर्लिंग में एक येन, एक सेंट या एक पेनी से कम की भिन्न के बिना ही अभिव्यक्त होना चाहिए। और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए। भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत -बीमा और भाड़ा, धनराशि अलग-अलग प्रदर्शित की जा सकती है परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्चा वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किए गए भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय धनराशि होगा।

(ख) संविदा में नकद आधार पर अर्थात् बैंक आफ इंडिया, टोकियो को जापानी संचरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) क्रय आदेश और संचरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होने चाहिएं।

2(2) आयात लाइसेंस के विपरीत केवल एक संविदा की जानी चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की प्रविष्टि की अनुमति दी जा सकती है जिनके लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग से आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तत्काल बाद पूर्व अनुमोदन ले लेना चाहिए।

2(3) संचरक की पात्रता

संचरक पात्र स्रोत देशों का राष्ट्रिक होगा या पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत और समाविष्ट न्यायिक व्यक्ति होगा।

खण्ड—3

संचरक ठेकों में निम्नलिखित शर्तें विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए:—

3(1) 1983-84 के लिए येन 1,773 बिलियन के अनुदान सहायता से संबद्ध इस संविदा की व्यवस्था 22-2-85 को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है।

3(2) विदेशी संचरकों को भुगतान उस "भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र" (ए/पी) के माध्यम से किया जाएगा जो 1983-84 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन बैंक आफ इंडिया, टोकियो के नाम में सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू.सी.ओ. बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली- 110001 द्वारा जारी किया जाएगा।

3(3) विदेशी संचरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

3(4) उस मामले में, जिसमें संचरक जापान में स्थित हो और भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श से पोत-लदान की व्यवस्था करने को तैयार और उसके लिए संबंधित माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम की भारतीय दूतावास टोकियो को सूचना देगा और अपेक्षित पोत परिवहन के लिए कम से कम 6 सप्ताह से पहले ही भारतीय दूतावास टोकियो को अधिसूचित करवाएगा जिससे उचित व्यवस्था की जाए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खण्ड- 4 भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन:

4(1) जैसे ही आदेशों को अंतिम रूप दे दिए जाते हैं, लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां या समुद्र पार संचरकों को भारतीय आयुक्त द्वारा दिए गए क्रय आदेश के साथ समुद्र पार संचरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की चार प्रतियां या उनकी सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबंध-3 के प्रपत्र में "ए/पी" जारी करने के आवेदन की दो प्रतियों सहित संगत वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियां अवर सचिव (टीसी.), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त

मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजना चाहिए । उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा का विषय-वस्तु या उसका कीमत के आवश्यक अंशोधनों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए भी लागू होगा ।

4(2) यदि ठेके के दस्तावेज "ए/प" जारी करने के लिए "आवेदन-पत्र" और अन्य संबंधित दस्तावेज सही पाए जाएंगे तो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ठेके का अनुमोदन करेगा और उपर्युक्त (1) मे उल्लिखित दस्तावेज के एक सेट को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के राजदूतावास, टोकियो और भारत में जापान के राजदूतावास को भेजने का व्यवस्था करेगा ।

4(3) उपर्युक्त (2) मे उल्लिखित दस्तावेज की प्राप्ति के बाद सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001 बैंक आफ इण्डिया, टोकियो के लिए अनुबंध-4 के रूप में विदेशी संभरक को भुगतान करने के लिए "भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी)" जारी करेगा । ए/पी की प्रतिया भारत के राजदूतावास, टोकियो आयातक, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, को पृष्ठांकित की जाएंगी ।

4(4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक आफ इंडिया, टोकियो, जापान की सरकार, भारत के राजदूतावास, टोकियो, आयातक के भारत में बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक को अवगत कराएगा ।

4(5) पोत लदान प्रभावी करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा । यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इण्डिया, टोकियो अपने बैंकरों के माध्यम से संभरक को दस्तावेजों में निर्दिष्ट धनराशि को रिलीज करेगा ।

4(6) संभरक के लिए ए/पी जारी करने के लिए और भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय बैंक खर्चे, भारत में आयातक के संबद्ध बैंक द्वारा बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को प्रेषण द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना ही निर्धारित किए जाएंगे ।

खण्ड-5 रुपया जमा करने का उत्तरदायित्व

5(1) मूल विनिमय पोत परिवहन दस्तावेज निरपवाद रूप से बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के संबद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (जो अनुबंध-3 के रूप मे उल्लिखित हैं) की शाखा होगी उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनियम सेट केवल इस बात का सुनिश्चय कर लेने के बाद ही संबद्ध आयातक को देने चाहिएं कि विदेशी संभरक को चुकाई गई येन/यू० एस० डालर/पौण्ड स्टर्लिंग धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों मे जहां देने योग्य है ब्याज के खर्चे सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और उस धनराशि पर विदेशी संभरक को बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक ही अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हिसाब लगा कर ब्याज सार्वजनिक सूचना सं. 31-आई टी सी (पी एन)/83 दिनांक 10-8-83 के अनुसार सरकारी लेखा में जमा कर दिया गया है । ब्याज दोनों दिनों, अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है के लिए देय है । देखिए सार्वजनिक सूचना सं. 103-आई टी सी (पी/एन)/76, दिनांक 12-10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-1974 भुगतानों की येन/यू. एस. डालर/पौंड धनराशि के बराबर रुपए की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं. 8-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए । इस संबंध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा । इस बात का सुनिश्चय करने का उत्तरदायित्व संबद्ध भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले ही देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है । लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि असाधारण परिस्थितियों में सीमा शुल्क प्राधिकारियों से माल का वितरण प्राप्त कर लेने पर धनराशि सरकारी लेखे में शीघ्र जमा करा दी गई है । जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सिज 843-सिविल डिपोजिट्स —डिपोजिट्स फोर परचेसिंग एटसेक्ट्रा एण्ड परचेस ग्रान्ट ऐड फार गवर्नमेंट आफ जापान" फार 1983-84 (येन 1.773 बिलियन ग्रान्ट ऐड ऋण सहायता) ।

5(2) उल्लिखित धनराशि चालान के दाहिने ओर कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की साख में नकद जमा होनी चाहिए या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा या इसके उप-संगी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (हुण्डी कर्सा) से प्राप्त एक हुण्डी (डिमाण्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (हुण्डी ग्राहक

और प्रापक) की सार्वजनिक सूचना सं. 184-आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 30-8-1968, सं. 233-आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 24-10-68, सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-71, सं. 74 आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए धन-प्रेषण करना चाहिए।

5(3) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर भारतीय बैंक को ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। चालन के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 2-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-71 के पैरा-2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-1974 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए:—

(क) वित्त मंत्रालय के भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र सं. और दिनांक

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।

(घ) चुकाए गए ब्याज की धनराशि और वह वह अवधि जिसके लिए यह गिना जाएगा।

(ङ) जमा की गई कुल धनराशि।

(ब्याज की गणना विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखे में समतुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए की जाती है)।

उसके पश्चात् सी. ए. ए. एण्ड ए. द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी० ए० ए० एण्ड ए० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी:—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप बैंक आफ इंडिया, टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी० ए० ए० एण्ड ए० वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

5(4) भारत में संबद्ध बैंक आफ इंडिया को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रक प्रति पर रुपया निवेशों की धन राशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया बम्बई को भेजना चाहिए।

खण्ड—6 विविध शर्तें :—

6(1) आयात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट :

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद आयातक को पोतलदानों और उनके अधीन किए गए भुगतानों के संबंध में और जो पोतलदान होने वाली हैं, उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी. ए. ए. एण्ड ए. आर्थिक कार्यविभाग, वित्त मंत्रालय यू.सी.ओ. बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

6(2) संभरकों को विशेष शर्तें अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे आयात लाइसेंस की उन विशेष शर्तों से संभरक को अवगत करायें जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डाल सकती है।

6(3) विवाद.—यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तर-दायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इंडिया, टोकियों द्वारा भुगतानों से पूर्व संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें साफ-साफ "भुगतान के नियम" के अधीन अनुबंध 1 में दर्शाई जानी चाहिए। विवादों से निपटने का शर्तें ठेके की शर्तों में शामिल होनी चाहिएं।

6(4) भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों में संबंधित जापान से 1983-84 के लिए अनुदान सहायता के अधीन सभी आभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों या अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरंत पालन करना होगा।

6(5) अतिक्रमण या उल्लंघन :—उपर्युक्त खण्डों में स्थिर की गयी शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रक) अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाई की जाएगी।

6(6) अनुबंध की सूची.—

अनुबंध-1—पात्र स्रोत देशों की सूची

अनुबंध-2—पात्र पण्य वस्तुओं की सूची

अनुबंध –3 भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र

अनुबंध -4 भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र (ए/पी) का प्रपत्र

पात्र स्रोत देशों की सूची

(क) ओ ई सी डी देश

आस्ट्रेलिया
कनाडा
फिनलैंड
जर्मनी संघीय गणराज्य
आइसलैंड आयरलैंड
जापान
दी नीदरलैंड
नार्वे
स्पेन
स्वीजरलैंड
दि यूनाइटिड किंगडम और यूनाइटिड स्टैट्स
बेलजियम
डेनमार्क
फ्रान्स
यूनान
इटली
लगजमबर्ग
न्यूजीलैंड
पुर्तगाल
स्वीडन
तुर्की

(ख) विकासशील देश तथा उसके क्षेत्र

(ख-1) नान-ओ.पी.ई.सी. विकासशील देश

1. अफ्रीका, उत्तरी सहारा

मिश्र
तुनीशिया
मौरक्को

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा

अंगोला
बरुन्डी
केंप वर्डी द्वीप समूह
चाड
इथोपिया
कांगो, दमोह् गणराज्य
घाना
बोत्सवाना
कैमेरुन
केन्द्रीय अफ्रीकन गणतंत्र
कमोरो द्वीप समूह
गेंबिया
इक्वेटोरियल गाईना
गिनी
आइवरी कोस्ट
ले सोथे
मारितेनिया
मौजाम्बीक
पुर्तगाल गिनी
रोडेशिया
सेंट हेलिना और डेप (2)
सेनेंगाल
सियरा लिओन
सूडान
टेरों आफर्स और इत्सास
युगान्डा
अपर वोल्टा
जांबिया
कोनिया
मालागासी गणतंत्र
मारीशस
नाइजर
रि-युनियन
रवान्दा
सो टोम प्रिन्सीपि
सिचिलीज
सोमालिया
स्वाजीलैंड
टोंगो
तंजानिया गणतंत्र संघ
जायरे गणतंत्र

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रवेश फरनेडो द्वीप समूह।

(2) निम्नलिखित सहित : असेन्शन टिस्टन डा इन एक्सेसिवत्स नाइटिंगेल, गफा।

(3) ऐन समूह, अरवा, बोनाहरे, क्यराकाओं सहा, सेंट युस्टासिट, सेंट मारटिन (दक्षिणी भाग)

3. अमेरिका—उत्तरी और केन्द्रीय

बेहमस
बेलाइज
कोस्टारिका
डोमिनिकल गणतंत्र
गुवाडिलायप
हैती
जैमेका
वारवाडोज
वरमुडा
क्यूबा
एल साल्वाडोर
ग्वाटेमाला

होन्डरस
मार्टिनिक्यू
मैक्सिको
निकारगुआ
सेन्ट पियरी और मिल्युलोन
वेस्ट इण्डिज.(बा.) एन. आई. ई.
(क) संबंधित राज्य (1)
(ख) आश्रित राज्य (2)
नीदरलैंड एनाटिलीज
पनामा
ट्रिनिडाड और टाबागो

4. दक्षिणी अमरीका

अर्जेन्टीना
ब्राजील
कोलम्बिया
फ्रांसिसी गिनी
पाराग्वे
सूरिनाम
बोलिविया
चिली
फाल्कलैंड द्वीप समूह
गुयाना
पीरु
उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया

बेहरीन
जोर्डन
ओमन
यूनाइटिड अरब अमिरात
यमन जनवादी डी. आर. (4)
इजराइल
लेबनान
सिरयाई अरब गणतंत्र
यमन अरब गणतंत्र (3)

6. दक्षिणी एशिया

अफगानिस्तान
भूटान
मालद्वीप
पाकिस्तान
बंगला देश
बर्मा
नेपाल
श्री लंका

7. सुदूर पूर्व एशिया

ब्रुनेई
कंबोडिया गणतंत्र
लाओस
मलेशिया
सिंगापुर
थाईलैन्ड
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र
हांगकांग
कोरिया गणतंत्र
मकाओ
फिलीपाइन
ताइवान
तिमौर
गणतंत्र

(1) मुख्य दीप एन्टिगुवा, डोमिनिका, ग्रेनेडा सेन्ट किड्स (सेंट करिस्टे फे) नेविस अंगुइला, सेन्ट लुसिया और सेंट विसेंकट ।

(2) मेन आई लैन्ड, मोन्तेसे, रेंट, गेमान, तुर्की और काइकोस और ब्रिटिश वरजिनद्वीप समूह

(3) अजमन, दुबई, फजाइरह, रास अल खेंमाह शेरजाह और उम्मल क्वेवन

(4) अदन और विभिन्न सल्तनत और अमीरात सहित

(5) सोसायटी आईलैंड्स समूह (ताहिसी सहित) को शामिल करते हुए अस्ट्रल द्वीप समूह, टुआमोट, जांवियर ग्रुप और मार्केसल द्वीप समूह।

(6) पैसिफक द्वीह का ट्रस्ट प्रवेश, कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और पेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

8. ओसिनिया :–

कोक द्वीप समूह
गिल गिल्वर्ट और इलाइस द्वीप
नौरू
न्यूकेप्रिसेस वि. और फ.)
पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
फिजी
फ्रांसिसी पोलिनेशिया (5)
न्यू कोलेडोनिया
हियू
पापुओ न्यू गिनी
सोलामन द्वीप समूह (हि.)
वालिस और फतुना
टोंगो
पश्चिमी समाओ

9. यूरोप

साइप्रस
ग्रीक

स्पेन

युगोस्लाविया

जिब्राल्टर

माल्टा

तुर्की

खण्ड 2 ओ. पी. ई. सी. के सदस्य या सहयोगी देश:—

अल्जीरिया

बोलिविया

गेबान

इक्वेडोर

ईरान

कुवैत

आबू धाबी

साऊदी अरब

लीबियाई अरब गणतंत्र

नाइजीरिया

वेन्युएला

ईराक

कातार

इन्डोनेशिया

अनुबंध—2

पात्र पण्य सूची

1. रोलज

2. विशेष इस्पात और मिश्र-धातु इस्पात सहित इस्पात

3. ट्रकों और ट्रैक्टरों के विनिर्माण के लिए संघटक, संयोजक और पुर्जे ।

4. रसायन

5. जापान अनुदान परियोजना और भारत-जापान संयुक्त उद्यम के लिए फालतू पुर्जे, संघटक और कच्चा माल।

6. बिजली के हुकों के लिए संघटक, संयोजक और फालतू पुर्जे

7. मशीनरी, संघटक, संयोजन, फालतू पुर्जे और कच्चा माल

8. लघु उद्योग क्षेत्र के लिए मशीनरी और उपस्कर

9. तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिए मशीनरी, उपस्कर और फालतू पुर्जे ।

10. उर्वरक और ऐसी अन्य मदें, जिन पर आपस में सहमति हो ।

अनुबंध—3

"भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र"

सं. : दिनांक :

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग,
प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट
नई दिल्ली 110001

विषय :—1983-84 के लिए येन 1.773 बिलियन जापानी ऋण अनुदान सहायता येन के अधीन जापान से आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से जो कि आयात के संबंध में है संबद्ध संभरक के नाम में बैंक आफ इंडिया, टोकियो के लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस की सं. दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है ।

(ग) प्राप्ति के तरीके—क्या यह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है । इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है ।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण

(ङ) माल का उद्गम देश

(च) संविदा का कुल लागत भाड़ा मूल्य (येन में)

(छ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपए में भुगतान की जाने वाली भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि।

(ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता है ।

(झ) संभरकों के साथ की गयी संविदा की संख्या और दिनांक

(ञ) संभरक का नाम और पता

(ट) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनको संविदा के अंतर्गत भुगतान देय होंगे ।

(ठ) सपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि

(ड) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सैट की संख्या और निपटान का संकेत करें) प्रत्येक सेटों की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए ।

(ढ) पोत लदान अनुदेश (वाहनान्तरण/पार्ट-शिपमेंट) की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए ।

(ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता ।

(त) क्या उसी लाइसेंस के अंतर्गत संविदा (संविदाओं) कर दी गई हैं । यदि हां, तो ऐसी संविदा का दिनांक और मूल्य ।

भवदीय,

अनुबंध—4

संख्या

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय :—येन 1.773 बिलियन के लिए जापान ऋण अनुदान सहायता के अधीन आयात भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना ।

प्रिय महोदय,

1. आपके बैंक के साथ 13-3-79 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतदद्वारा यथा संलग्न ब्यौरे (जो परिशिष्ट में दर्शाए गए हैं) के अनुसार सर्व श्री——— के नाम में————————येन धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पावती के बारे में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार आयातक बैंक, भारत के राज-दूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए ।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा संकेतित लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा ।

4. आयातक द्वारा आपको दस्तावेज को भेजने आदि के लिए भाड़ों सहित अदा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े टोकियो में भारतीय दूतावास/आयातक के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएँगे ।

5. जैसे ही संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेज के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए ।

6. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है ।

7. यह भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र————तक वैध रहेगा ।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :

1. आयातक ———को उनके पत्र सं.——— दिनांक —————के संदर्भ में ।

2. आयातक का बैंक ————उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को येन/यु.एस. डालर/पौण्ड के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। विदेशी संभरकों को चुकाई गयी धनराशि के बराबर रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना सं. 8–आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना को समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी संभरकों का भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं. 46-आईटीसी (पी एन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 18 प्रतिशत की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा कराना होगा। ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में रूपया निक्षेप किया जाता है। (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी)। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा-शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है ।

ये धनराशियां चालान के दाहिने ओर कोष सं. 5130000009 दर्शाते हुए या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में

जमा करनी चाहिए या बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी शाखा दिल्ली–6 (आदेशित और आदाता) के नाम और उसको देय दर्शनी हुण्डी के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 23–आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 24-10-68 सं. 132–आईटीसी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-1971 सं. 74–आईटीसी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-74 और सं. 103 आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 12-10-76. की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज–843 सिविल डिपोजिट्स – डिपोजिट्स फार परचेजिग्स एटसेक्ट्रा एग्राड–परचेजिस ग्रांड एंड फ्रम दि गवर्मेंट आफ जापान फार 1983–84 (येन 1.773 बिलियन ग्रांट एण्ड डेबिट रिलीफ।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं. 132–आईटीसी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी।

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) पहली मंजिल यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग संसद मार्ग नई दिल्ली।

जिस मामले में तुल्य रूपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उनकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में ब्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की गयी है और उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपये का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

समुद्रपार संभरक के बैंकर के खर्चों सहित यदि कोई हो तो, बैंकिंग खर्चे और बैंक आफ इंडिया, टोकियो, शाखा के अन्य खर्चे इंडियन बैंक और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो।

5. अवर सचिव (टी. ए.) शाखा, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी,

PUBLIC NOTICE NO. 30-ITC(PN)/85-88

New Delhi, the 13th August, 1985

Subject : Licensing conditions in respect of Public Sector imports under the Japanese Grand Aid of Yen 1.773 Billion (Yen 1,773,860,000/-) (Debt Relief) for 1983-84 extended by the Government of Japan.

File No. IPC/23(21)/84-85.—The terms and conditions governing imports under the Japanese Grant Aid of Yen 1.773 Billion (Debt Relief) for 1983-84 in respect of Plublc Sector imports, are notified for information.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 30-ITC(PN)/85-88 dated the 13th August, 1985

Licensing Conditions in respect of Public Sector Imports under the Japanese Grant Aid of Yen 1.773 billion (Y 1,773,860,000/-) (Debt Relief) for 1983-84 extended by the Government of Japan.

Section I—General Conditions :

I (i) The Japanese Grant Aid of Yen 1.773 billion extended by the Government of Japan is noticed in favour of OECD and developing countries except India. Accordingly the commodities and services incidental thereto to be procured under this Grant Aid can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be the eligible source countries under this Grant. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure-II.

I (ii) The licence will bear the superscription "Yen 1.773 billion Japanese Grant Aid for 1983-84". The licence code for the first and second suffix will be "S/JN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

I. (iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank carges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I (iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the licencee should approach the licencing authority concerned who shall consult the Department of Ecpnomic Affairs (Japan Section) in the matter.

I (v) Firm order must be placed on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan and in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary (TC), Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi (within 4 months from the date of issue of the import licence). "Firm Orders" means purchase orders placed by the Indian licencee on the Overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract only signed by

both the Indian importer and the Overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(v) above cannot be placed within 4 months for valid reasons the licencee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within 4 months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on the merit by the licencing authorities who may grant extension upto maximum period of 4 months. If however, further extension is sought beyond 4 months from the date of issue of this import licence, such proposals will invariably be referred by the licencing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licencing authorities for communication to the licencee.

In filling the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-3-1986.

Section II —Sepecial points to be kept in view while Negotiating a supply contract

II (i) (a) The C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollar or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one cent or one penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupee or in any other currency. The FOB cost and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II (ii) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II (iii) Eligibility of supplier.—The supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered and incorporated in the eligible source countries.

644 GI/85—9.

Section III

The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

III (i) The contract is arranged in accordance with Agreement dated the 22-2-1985 between the Government of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 1.773 billion for 1983-84 "and will be subject to the approval of Government of India".

III (ii) Payments to the overseas suppliers shall be made through an 'Authorisation to Pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1983-84.

III (iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III (iv) Where suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, atleast six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer requires this period of notice my be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof shoud be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by Government of India.

IV (i) As soon as the orders are finalised, the licencee should forward to the Under Secretary (TC), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian Importer placed on the Overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas suplies or their photo copies complete in all respects with two photo copies of the relevant valid import licence and also two copies of the "Request for issue of A/P, in the form at Annex. III. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contract of contracts or in its price.

IV (ii) If the contract document, "Request for issue of A/P" and other connected documents are found to be in order the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) will approve the contract and will arrange to send one set of the documents mentioned in (i) above each to the CAA&A, the Embassy of India, Tokyo and the Embassy of Japan in India.

IV (iii) On receipt of the documents mentioned at (ii) above the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an 'Authorisation to Pay (A/P)' to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure

IV for making payment to the oversease supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, the importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

IV (iv) On receipt of the Authorisation to pay (A|P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

IV (v) The foreign supplier shall, after effecting shipment, present through his banker; the documents specified in the A|P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Supplier through his bankers.

IV (vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A|P and for arranging payment to the overseas supplier shall be settled by the concerned importer's Bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section V—Responsibility for rupee deposit.

V (i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised Banks as mentioned in (O) in Annexure-III who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen|US $| Pound sterling payments made to the supplier alongwith interest charges thereon in cases where payable calculated at the rate of 12 per cent per annum for the first thirty days and at 18 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the foreign supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dated 10-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen|US $|Pound Payment will be prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any changes in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licencee should also ensure that the amoun's due are correctly deposited into Government Account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited in the the Govt. account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities under exceptional circumstances. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-843-Civil Deposites-Deposits for purchases etc., abroad-purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1983-84 (Yen 1.773 billion Grant Aid-Debt-Relief).

V (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the challan or in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible it should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)|68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)|68 dated 24-10-68 and No. 132-ITC (PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-76.

V (iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of Service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers, their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

(a) Ministry of Finance 'A|P' (Authorisation to Pay) No. and date.

(b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversation adopted.

(c) Date of payment to the foreign supplier.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of

payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA) New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

SECTION-VI Miscellaneous provisions

VI (i) Reports on the utilisation of the import licence

The importer should send a monthly report, after the A|P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi

VI (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The licencee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI (iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licencee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract

VI (iv) Future Instructions

The Licencee shall promptly comply with directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1983-84 from Japan.

VI (v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control Act).

VI (vi) List of Annexures

Annexure—I List of eligible source countries

Annexure—II List of eligible commodities

Annexure—III Form of Request for issue of Authorisation to pay (A|P)

Annexure—IV Form of letter of Authorisation to Pay (A|P).

ANNEXURE—I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. OECD Countries

Australia
Belgium
Canada
Denmark
Finland
France
The Federal Republic of Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Luxembourg
The Netherlands
New Zealand
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
The United Kingdom and the United States.

B Developing Countries & Territories

(b1) Non-O.P.E.C. Developing Countries

I Africa, North of Sahara

Egypt
Morocco
Tunisia

II AFRICA, South of Sahara

Angola
Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of
Dahomay (1)
Equatorial Guinea
Ethopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesothe
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Moozambique
Niger
Portuguese Guinea

Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and dep (2)
Sao Tome and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro, Afars and Issas
Togo
Uganda
Un. Rp. of [illegible]
Upper Volta
Zaire Republi[illegible]
Zambia

(1) Formerly the [illegible] Spanish Gui[illegible] including the island of Fern[illegible]do Po

(2) Including the follo[illegible] isl[illegible] Ascen[illegible] Tristan d[illegible] [illegible], Gou[illegible]

(3) Main isl[illegible] Aruba Bo[illegible] Curacao Saba, St [illegible], St Ma[illegible] (South Part)

III AMERICA North and Cent[illegible]

Bahamas
Barbodoses
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican R[illegible]
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands A[illegible]
Nicaragua
Panama
St Pierre & Miquelon
Trinidad and T[illegible]
West Indies (Br[illegible])
(a) Associated St[illegible] (1)
(b) Dependencies (2)

IV AMERICA S[illegible]

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Isla[illegible]
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V ASIA, Middle East

Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Amirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D R (4)

VI ASIA, South

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
Maldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA, Far East

Burnei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of Laos
Macao
Malaysia
Philippin[illegible]
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Vietnam Rep [illegible]
Viet-Nam Dem Rep

(1) Main islands Anugula, Dominica, Grenada, St. Kitts (St Carstephe) Nevis-Angulla, St [illegible] and St Vincent

(2) Mai[illegible] [illegible] Montserrat, Gayman, Turks and Caicos, and British, Virgin Island.

(3) Ajman Dubai, Fujairah, Ra[illegible] al Khaiman, Sharjah and Ummal Quaiwain

(4) Including Aden and various sultanates and emirates

(5) Comprising the Society Islands (Including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gaambier Group and the Marquesas Islands.

(6) Trust Territory of the Pacific Islands Caroline I[illegible] Marshall Islands and Marine Islands (except Guam)

VIII OCEANIA

Cook Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is
French Polynesia (5)
Nauru
New Caledonia
New Hebrices (Br and Fr.)
Hieu
Pacific Islands (US) (6)
Papua New Guinea
Solomo[illegible] Islands (Br)
Tongo
Wallis and Futuna
Western Samoa

IX. EUROPE

Cyrus
Gibralter
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

(b2) Member or Associate Countries of OPEC

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

ANNEXURE—II

ELIGIBLE COMMODITY LIST

1. Rolls
2. Steel including special steel & alloy steel
3. Components, attachments and spares for manufacture of trucks and tractors.
4. Chemicals.
5. Spares, components and raw materials for Japan aided Projects and Indo-Japanese Joint Ventures.
6. Components, attachments and spares for power tillers.
7. Machinery, components, attachments, spares and raw materials.
8. Machinery and equipment for the Small Scale Sector.
9. Machinery, equipment and spares for the Oil & Natural Gas Sector.
10. Fertilizer and such other items as may be mutually agreed upon.

ANNEXURE—III

"REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY"

No.

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Subject : —Import under the Japanese Debt-Relief Aid of Yen 1.773 billion for 1983-84.

Sir,

In connection with the import of———— ———— from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A|P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Supplier concerned :—

(a) Name and Address of the Indian importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Gross C&F value of contract (in Yen)

(g) Amount of Indian agents commission (in Yen) if any, payable in Indian rupees.

(h) Net C&F value (in Yen) for which the A|P is required.

(i) Name and date of the contract with Suppliers.

(j) Name and address of the Supplier.

(k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(l) Expected date of completion of deliveries

(m) Documents to be presented at the time of Payment to Bank of India, Tokyo, (indicating No. of sets of each and their disposal).

(n) Shipment instructions (indicate if transhipment/partshipment permitted or not permitted).

(o) Name and address of the Importer's Bank in India.

(p) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and if so, the No., date and value of such contract.

Yours faithfully,

ANNEXURE—IV

No.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan)

Subject —Import under Japanese Debt—Relief Grant Aid of Yen 1 773 billion Issue of Authorisation to pay

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 13-3-1979 entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen ——— — —to M/S ——— (as per details given in the Appendix)

2 Please advice the Suppliers of the fact of receipt of this authorisation to Pay (A/P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan Importers' Bank, Embassy of India Tokyo and this Ministry

3 Payments to the supplier in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents etc as indicated in the Appendix

4 The banking charges including charges for handling documents payable to you by the importer will be settled by the Embassy of India Tokyo/Importer Bank

As and when [illegible] payment [illegible] on the basis of shipping documents etc presented by the supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank

6 No amendments to A/P may be issued in the absence of a specific authority from the Ministry

7 The A/P will remain valid upto — —

Yours faithfully

Accounts Officer.

Copy forwarded to :—

1. Importer—————————————— with reference to their letter No ——— —— dated

2. Importer's Banker —————— they are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen / US $/£ payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the bank of India, Tokyo, Branch The rupee equivalent of amount disbursed to the overseas suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Overseas Suppliers in accordance with the Public Notice No 8-ITC(PN) 76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time Interest @12 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 18 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Govt. Account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notice No 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the overseas supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the challan or the S.B.I., Tis Hazari Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the SBI or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari Delhi-6 (Drawee and Payee) In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No 23-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968 No 132-ITC(PN) 71 dated 5-10-1971 No 71-ITC(PN) 74 dated 31-5-74 and 103-ITC(PN)/76 dated [illegible]-10-1976 The head of Account to be credited is K-Deposits & Advances-843 CIVIL Deposits for purchases etc abroad Purchases under Grant Aid from the Government of Japan" for 1983-84 (Yen 1 773 billion Grant Aid Debt Relief)

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No 132-ITC(PN) 71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of [illegible] from the Bank of India, Tokyo Branch

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building Parliament Street, New Delhi-1

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch

4. Embassy of India, Tokyo.

5 The Under Secretary (TA) Ministry of Finance Department of Economic Affairs, New Delhi.

(Accounts Officer)

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI 110054, 1985